मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति–2011

कार्य योजना

पशु पालन विभाग
मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रस्तावना एवं उद्देश्य	
2.	वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य	
3.	रणनीति	
4.	पशु स्वास्थ्य सुविधा	
4.1	पशु चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढीकरण एवं उनका विस्तार	
4.2	रोग नियंत्रण एवं निदान	
4.3	आधुनिक तकनीक से गुणवत्तायुक्त टीकाद्रव्य का उत्पादन एवं परिवहन	
4.4	नवीन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नियामक प्रणाली का विकास	
4.5	बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सूचना प्रसार तकनीक का उपयोग	
5.	पशु नस्ल सुधार	
5.1	पशु प्रजनन नीति	
5.2	पशु प्रजनन कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	
5.3	भारतीय नस्लों का संरक्षण एवं संर्वधन	
5.4	पशु प्रजनन की उन्नत तकनीक का उपयोग	
6.	डेयरी विकास	
6.1	राष्ट्रीय डेयरी योजना	
6.2	अल्पकालीन योजना	
6.3	दीर्घ कालीन योजना	
6.4	पशु हाट बाजार की सीपना	
7	कुक्कुट विकास	
7.1	बैकयार्ड पोल्ट्री विकास	
7.2	निजी कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों की स्थापना	
7.3	कडकनाथ नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन	
8.	बकरी एवं सूकर विकास	
8.1	नस्ल सुधार कार्यक्रम	
8.2	नस्लों का संरक्षण	
8.3	आर.के.वी.वॉय.योजनान्तर्गत बकरी पालन योजना	
8.4	बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन	
8.5	सूकर पालन	

9.	पशु आहार एवं चारा विकास	
9.1	चारा एवं चारागाह विकास योजना	
9.2	चारा बीज उत्पादन एवं वितरण योजना	
9.3	आर.के.वी.वॉय.योजनान्तर्गत चारागाह विकास	
9.4	मिनिकिट्स वितरण योजना	
10	विपणन	
11	विस्तार एवं क्षमता विकास	
11.1	मानव संसाधन विकास	
11.2	विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	
11.3	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	
11.4	विस्तार कार्यक्रम	
11.4.1	गोपाल पुरूस्कार योजना	
11.5	दुधारू पशुधन बीमा योजना	
12	अनुसंधान तथा विकास	
13	नियमन एवं मानकीकरण	
14	समीक्षा एवं मूल्यांकन	
14.1	विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों की सतत् समीक्षा हेतु प्रबंध सूचना प्रणाली की सीपना।	
14.2	मॉनिटरिंग एवं रैंकिंग प्रणाली	
14.3	केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण योजना	

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश की अधिसंख्य आबादी की आजीविका मुख्यतः कृषि एवं कृषि क्षेत्रक गतिविधियों यथा–अनाज उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन, कुक्कुट पालन एवं मछली पालन आदि पर निर्भर है। राज्य की आर्थिक प्रगति में इन गतिविधियों का विशेष महत्व है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अधिकांश परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में भी कृषि एवं पशु पालन को प्रोत्साहित करने को लक्षित कर क्रियान्वित की गई योजनाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। इस तरह कृषि एवं कृषि क्षेत्रक गतिविधियों पर आधारित आय में वृद्धि विषयक नीतियों का निर्धारण न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबी उन्मूलन का सशक्त माध्यम है। जहां पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के द्वारा राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिए कृषि पर आधारित आय के अतिरिक्त स्त्रोत के रूप मे नवीन संभावनाएं विकसित हुई हैं वहीं द्रुत गति से हो रही जनसँख्या वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति निरंतर बढती आय के परिणामस्वरूप उनके खान–पान में हो रहे बदलाव के रूप में नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। कृषि खाद्यान्नों के स्थान पर फलों एवं सब्जियों के अतिरिक्त दूध, मांस एवं अण्डों के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं के बढते रूझान के दृष्टिगत् पशु एवं कुक्कुट के उत्पादन एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि की महती आवश्यकता है।

कृषि के अतिरिक्त पशुपालन प्रदेश में ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग रहा है। 18 वीं पशु संगणना 2007 के अनुसार मध्यप्रदेश में देश की कुल पशुधन सँख्या का 11.01 प्रतिशत गौ–वंशीय पशु, 8.67 प्रतिशत भैंस वंशीय पशु, 6.41 प्रतिशत बकरा–बकरी, 1.73 प्रतिशत सूकर एवं 1.14 प्रतिशत कुक्कुट उपलब्ध है। इन आंकडों से परिलक्षित होता है कि हमारे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि की विपुल संभावनाएं हैं जबकि कुक्कुट उत्पादन एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पशुधन एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि को लक्षित कर नीति निर्धारित करने एवं तद्नुसार समयबद्ध कार्ययोजना तैयार किया जाना आवश्यक है। इससे जहां एक ओर ग्रामीण परिवारों की आजीविका के वैकल्पिक स्त्रोत विकसित कर उनकी आय में वृद्धि की जा सकेगी वहीं दूसरी ओर राज्य की आर्थिक प्रगति के आधार को सुदृढता प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त कृषक परिवारों के पोषण आहार के स्तर में भी सुधार संभव हो सकेगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की कृषि क्षेत्रक गतिविधियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन में पशुपालन के महत्व के दृष्टिगत् पशु पालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011 तैयार की गयी है जिसका दृष्टिकोण (Vision) निम्नानुसार है :–

गरीबी उन्मूलन हेतु पशुपालकों को स्थाई आजीविका उपलब्ध कराते हुए पशुपालन से अर्जित लाभ का बिना किसी जाति, वर्ग अथवा श्रेणी भेद के समाज के सभी वर्गों में न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना तथा इस प्रकार प्रदेश को पशुधन एवं पशुधन उत्पादों में आत्मनिर्भर करना।

1.1. उपरोक्त दृष्टिकोण के मद्देनजर मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति के मुख्य उद्देश्य नीचे लिखे अनुसार हैं :–

1.1.1. पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों की पशुधन उत्पादन प्रणाली में सहभागिता सुनिश्चित करना ताकि पशुधन उत्पादन में वृद्धि के साथ पशुधन एवं पशुधन उत्पाद में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों।

1.1.2. आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर आदान लागत को कम कर पशुपालकों की आय में वृद्धि करना तथा उससे प्राप्त लाभ का सभी स्तरों पर न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

1.1.3. पशुपालन में विस्तार एवं पशुपालकों की कुशलता विकास पर ध्यान केन्द्रित कर सभी प्रकार के आदान एवं सेवाओं में आत्मनिर्भर होना जिससे कि उत्पादन मूल्य कम हो और निवेश को अच्छे गुणवत्ता वाले पशुधन उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

1.1.4. बिना किसी जाति, धर्म अथवा वर्ग भेद के सभी पशुपालकों की आदान सेवाओं व विपणन सुविधाओं तक पहुँच के समान अवसर सृजित करना।

1.1.5. समय पर सेवाएँ प्रदाय कर पशुधन क्षेत्र में सुरक्षित आजीविका का वातावरण निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

1.1.6 पशुधन उत्पादन तंत्र से वातावरण को होने वाले नुकसान के नियंत्रण हेतु नियम एवं अधिनियम लागू करने के लिये नियमन से संबंधित निकायों को सशक्त किया जाना।

1.1.7 आणविक खोज के माध्यम से संबंधित तरीकों में सुधार लाकर जन सहभागिता से पशुधन की मौलिक नस्लों की अनुवांशिकी को स्थानीय स्तर पर ही संरक्षित कर उत्कृष्ठ देशी जैव द्रव्य संधारित करना।

1.1.8 पशुपालको को जमीनी स्तर पर कृषक समूह, उत्पादक कम्पनी एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थागत व्यवस्था में संगठित कर सुविधायुक्त बाजार से जोड़ना।

1.1.9 पशुधन क्षेत्र के विकास एवं आधुनिकीकरण के कारण वातावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों का यथोचित समय पर नीतियों में उपयुक्त बदलाव कर शमन करना।

1.2. पशुधन नीति की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि इसमें –

1.2.1 विभिन्न पशुधन विकास एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए एक समान रणनीति न अपनाते हुए कृषि जलवायु तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.2.2 लघु एवं संसाधन विहीन पशुपालकों को पशुधन उत्पादन वृद्धि में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से कम लागत मूल्य पर अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए हैं ।

1.2.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों का वातावरण में प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे मुद्दों को भी नीति में समाहित किया गया है ।

1.2.4 पशुधन क्षेत्र की बढती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले की दक्षता उन्नयन संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है ।

1.2.5 पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के विस्तार एवं क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

1.2.6 विभिन्न कार्यक्रमों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों का ध्यान भी कार्ययोजना में रखा गया है ताकि पशुधन उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण एवं उनका लाभात्मक विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

1.3. उपरोक्त उद्देश्यों एवं पशुधन विकास नीति की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई कार्ययोजना को मुख्यतः निम्न घटकों में विभाजित किया गया है :–

1.3.1. पशु स्वास्थ्य सुविधा

1.3.2. पशु नस्ल सुधार

1.3.3. डेयरी विकास

1.3.4. कुक्कुट विकास

1.3.5. बकरी व सूकर विकास

1.3.6. पशु आहार एवं चारा विकास

1.3.7. विपणन

1.3.8. विस्तार एवं क्षमता विकास

1.3.9. अनुसंधान एवं विकास

1.3.10. नियमन एवं मानकीकरण

1.3.11. समीक्षा एवं मूल्याकंन

1.4 उपरोक्त घटकों के अनुसार प्रदेश की पशुधन विकास नीति के क्रियान्वयन के दृष्टिगत तैयार की गई पंचवर्षीय कार्ययोजना का स्वरूप इस प्रकार तैयार किया गया है कि यथासंभव राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

1.4.1. इस हेतु पशु चिकित्सा इकाईयों की सँख्या में वृद्धि, कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों का पशु औषधालयों के रूप में उन्नयन एवं पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन का भी समावेश किया गया है ।

1.4.2. पशु स्वास्थ्य सेवाओं को श्रेष्ठतर बनाने एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा वर्तमान में 27 विकास खण्डों में संचालित किए जा रहे चल विरूजालयों के अतिरिक्त अनुबंध के आधार पर बाह्य एजेंसियों के माध्यम से चल पशु चिकित्सा इकाईयों का संचालन 40 आदिवासी विकास खण्डों में किया जा रहा है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शेष 22 आदिवासी विकास खण्डों में भी अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सालयों के संचालन का प्रयास किया जाएगा।

1.4.3. पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधानों का लाभ पशुपालकों तक पहुँचाने तथा सूचना एवं प्रसारण प्रणाली की तकनीक के प्रयोग करते हुए नवाचारों का समावेश भी कार्य योजना में किया गया है। इसके अन्तर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में पशुपालकों को ऑन लाईन कन्सल्टेंसी के माध्यम से घर पहुँच पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ई–वेट परियोजना तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रथमतः बैतूल एवं सीहोर जिलों में किया जाएगा तथा इन जिलों में प्राप्त परिणामों

के आधार पर 12'वीं' पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे अन्य जिलों के पहुँच विहीन क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स के रूप में उपलब्ध सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों एवं प्रशिक्षित गौ सेवकों के माध्यम से कम कीमत पर विशेषज्ञों की सेवाएँ पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

1.4.4. पशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक लोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों का पॉलीक्लीनिक्स के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को एक ही भवन के अन्दर पशु रोगों की जांच एवं उपचार हेतु आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इन पॉलीक्लीनिक्स में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पदस्थ किया जाएगा। अब तक 34 जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों में इस नवाचार के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं एवं शेष 16 जिलों के पशु चिकित्सालयों को चरणबद्ध तरीके से सुसज्जित करने की दिशा में कार्यवाही जारी है।

1.4.5. प्रदेश की प्रजनन नीति के अन्तर्गत पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू करने हेतु राज्य को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर सात पशु प्रजनन परिक्षेत्रों (Breeding Zones) में विभाजित किया गया है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशु नस्ल सुधार का कार्यक्रम क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं व उपयुक्तता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट नस्लों का संगोपन किया जाएगा तथा पशु प्रजनन कार्यक्रम के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं अशासकीय सस्थाओं के माध्यम से इन्ही बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नवीन एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा पहँच विहीन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम उच्च नस्लों के सांड प्रदाय कर नैसर्गिक गर्भाधान के माध्यम से विस्तारित किया जाएगा।

1.4.6 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गौ–भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (N.P.C.B.B) के क्रियान्वयन हेतु निर्मित मॉडल एजेन्सी मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा संचालित केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल की कार्य प्रणाली में प्रक्रियागत सुधार एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से इसका आई. एस.ओ. प्रमाणीकरण कराया गया है। इस केन्द्र में वर्तमान में 11 लाख डोज हिमीकृत वीर्य का वार्षिक उत्पादन होता है। इसका सुदृढीकरण एवं विस्तार किया जाएगा तथा हिमीकृत वीर्य का प्रतिवर्ष उत्पादन 25 लाख डोज करने का लक्ष्य 12 वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इससे कृत्रिम गर्भाधान की सँख्या के बढे हुए लक्ष्य के परिणाम स्वरूप बढी हुई माँग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाला हिमीकृत वीर्य उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

1.4.7 भारतीय उन्नत नस्ल के गौ वंशीय पशुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोपाल पुरूस्कार योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली गायों के पालकों को पुरूस्कृत किया जाएगा। यह योजना जिला स्तर के अलावा राज्य स्तर पर भी लागू की जाएगी। इससे देशी नस्ल के गौवंश के संरक्षण एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ उच्च उत्पादन क्षमता वाले देशी गौ वंशीय पशुओं के संधारण में मदद मिलेगी।

1.4.8 पशुपालक की आजीविका की सुरक्षा के दृष्टिगत दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाली क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से राज्य के जिलों में दुधारू पशुधन बीमा योजना 20 जिलों में लागू की गई है। इस योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा।

1.4.9 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में पशुपालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में दुग्ध व्यवसाय एक लोकप्रिय विकासात्मक गतिविधि के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश की पशुधन विकास नीति में इसकी महत्ता को देखते हुए डेयरी विकास को विशेष अध्याय के रूप में कार्य योजना में शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन की बहुलता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त/नई दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन, पशु उत्प्रेरण, डेयरी संयत्रों एवं संतुलित पशु आहार संयंत्रों का सुदृढीकरण एवं क्षमता विस्तार, बाय पास प्रोटीन एवं मिनरल मैपिंग के आधार पर खनिज मिश्रण (Mineral Mixture) संयंत्रों की स्थापना आदि प्रमुख कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण का प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर लघु दूध शीतलीकरण इकाईयों (Bulk Milk Coolers) एवं दुग्ध व्यवसाय में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से दुग्ध समितियों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों यथा, इलेक्ट्रानिक मिल्कोटेस्ट एवं नाप तौल मशीन, स्वचलित दुग्ध संकलन प्रणाली आदि की स्थापना की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

1.4.10 बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु कियान्वित किए जा रहे बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत भी गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं के विकास के साथ–साथ बकरी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना, एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।

1.4.11 शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पशु उत्प्रेरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशु हाट बाजार के सुदृढीकरण कार्य योजना भी तैयार की गई है। इस हेतु कृषि उपज मण्डी परिसरों एवं पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित पशुधन प्रक्षेत्रों के पृथक्कृत (**isolated**) भू–खण्डों पर स्थाई पशु हाट बाजारों की स्थापना हेतु अधोसंरचनाओं के निर्माण की दिशा में कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों जहां पहले से ही साप्ताहिक, मासिक अथवा वार्षिक पशु मेलों का आयोजन किया जा रहा है, को भी इस दृष्टिकोण से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

1.4.12 कुक्कुट एवं अण्डा उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। विभिन्न कारणों से कुक्कुट एवं अण्डा उत्पादन में विगत कुछ वर्षो से धनात्मक वृद्धि दर प्राप्त नहीं हो रही है। निजी क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर किए जा रहे कुक्कुट एवं अण्डा उत्पादन संबंधी आंकड़ों की संगणना भी नहीं हो पा रही है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस ओर विशेष ध्यान देते हुए न केवल कुक्कुट अण्डा उत्पादन में धनात्मक वृद्धि दर प्रयास किए जाएंगे बल्कि इनकी नियमित संगणना हेतु सुनियोजित प्रणाली भी विकसित की जाएगी। कुक्कुट पालकों के स्तर पर कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारिता पर आधारित कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उन्हें उनके द्वारा

उत्पादित कुक्कुट एवं अण्डों का **प्रतिस्प** मूल्य प्राप्त हो सके। इसी तरह बकरी पालन के क्षेत्र को भी डेयरी व्यवसाय की भांति संगठित करने का प्रयास किया जाएगा।

1.4.13 किसी भी योजना का सफल क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास ऑकड़े अधिकतम संभव शुद्धता के साथ उपलब्ध हो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पशु संगणना प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल में की जाती है तथा इसके मध्य पशुओं की सँख्या के बारे में जानकारी केवल अनुमानित होती है इस दृष्टि से योजना निर्माण में और अधिक शुचिता लाने की दृष्टि से आयुक्त भू–अभिलेख के समन्वय से तथा पंचायतों का सहयोग लेते हुए वार्षिक पशु गणना का कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

1.4.14 पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से जबलपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में तीन पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय क्रमशः जबलपुर, महूँ एवं रीवा संचालित है। इन संस्थानों के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं पशुपालन के क्षेत्र के ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसका सीधा लाभ पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन उत्पादन एवं उनकी उत्पादकता वृद्धि के रूप में प्राप्त हो सके।

1.4.15. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु सुनियोजित प्रणाली की आवश्यकता के दृष्टिगत भिन्न–भिन्न जिलों की उपलब्धि के आधार पर उनकी मॉनिटरिंग/रैंकिंग की व्यवस्था की जा रही है। इससे एक ओर जहाँ शासन की योजनाओं की विधिवत समीक्षा की जा सकेगी वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम क्रियान्वयन में संलग्न अमले के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत कर इन योजनाओं के और अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2. वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य–

2.1.1 विगत पाँच वर्षों में दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की औसत वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही है। जबकि प्रदेश की तुलना में भारत की दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर 3.64 प्रतिशत ही रही है। गौवंश के क्षेत्र में हम संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर हैं किन्तु दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा स्थान सातवां है। आंकड़े इंगित करते हैं कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

2.1.2 18'वीं' पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में दूध का वार्षिक उत्पादन 7514 हजार मै0टन (वर्ष 2010–11) है । इस पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास किया जाएगा कि दुग्ध उत्पादन की औसत वृद्धि दर को चार प्रतिशत से बढाकर पांच से छह प्रतिशत किया जा सके। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की अनुशंसा अनुसार मानव स्वास्थ्य हेतु दूध की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 280 ग्राम होना चाहिए जोकि प्रदेश में वर्तमान में 271 ग्राम है। दुग्ध उत्पादन में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से वृद्धि होने पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में दूध का वार्षिक उत्पादन 9973 हजार मे. टन किया जा सकेगा जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की वर्तमान उपलब्धता 271 ग्राम से बढकर 336 ग्राम हो जाएगी जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की अनुशंसा एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता 263 ग्राम से अधिक होगी।

2.1.3 विगत पंचवर्षीय योजना में अण्डा उत्पादन की वृद्धि दर विभिन्न कारणों से ऋणात्मक रही है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान यह प्रयास किया जाएगा कि इस वृद्धि दर को धनात्मक बनाते हुए चार प्रतिशत किया जाए। राज्य में वार्षिक अण्डा उत्पादन 7577 लाख (वर्ष 2010–11) है । इसमें 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिससे 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 9587 लाख अण्डा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा ।

2.1.4 विगत पंचवर्षीय योजना में मांस उत्पादन की औसत वृद्धि दर तीन प्रतिशत रही है। इसे बढाकर चार प्रतिशत किए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में वार्षिक मांस उत्पादन 36 हजार मै0टन में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने पर पंचवर्षीय योजना के अन्त में मांस उत्पादन लगभग 48 हजार में टन किया जा सकेगा ।

तालिका कमांक 1

प्रदेश का दुग्ध, अण्डा एवं मांस का उत्पादन – (विगत 11 वीं पंचवर्षीय योजना)

कं	विवरण	वर्ष					
		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मे. टन)	6375	6572	6855	7167	7514	7814 (अनुमानित)
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	9518	9747	6715	7075	7577	7880 (अनुमानित)
3	माँस **उत्पादन** (हजार मे. टन)	32.60	33.50	34.20	36.10	37.60	39.10 (अनुमानित)

तालिका क्रमांक 2

12'वीं' पंचवर्षीय योजना में वर्षवार संभावित दुग्ध, अण्डा एवं मांस का उत्पादन

क्रं	विवरण	वर्ष				
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	दुग्ध उत्पादन(हजार मे. टन)	8204	8615	9046	9498	9973
2	अण्डा उत्पादन(लाख में)	8195	8523	8864	9218	9587
3	माँस उत्पादन (हजार में.टन)	40.66	42.29	43.98	45.74	47.57

2.2 राष्ट्रीय कृषक आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में 5855 पशु चिकित्सा इकाइयों की आवश्यकता है। इसके विरूद्ध वर्तमान में 2448 इकाईयां संचालित हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1164 पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना/उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। जिससे इनकी कुल सँख्या बढकर 3612 हो जाएगी ।

2.3 पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं की वर्तमान सँख्या 22 है। 28 नवीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं की वृद्धि कर योजना के अन्त तक कुल 50 पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं का स्थापन किया जाएगा।

2.4 पशु स्वास्थ्य एवं जैविक संस्थान महू में टीका द्रव्य के उत्पादन हेतु जीएमपी (Good Manufacturing Practices) एवं जीएलपी (Good Laboratory Practices) के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप इस संस्थान का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा जिससे टीका द्रव्यों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार के साथ–साथ परिमाणात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही टीकादृव्य का वार्षिक उत्पादन 180 लाख डोज से बढाकर 300 लाख डोज प्रतिवर्ष किया जा सकेगा।

2.5 वर्तमान में प्रदेश में केवल भोपाल में पशु आश्रय स्थल संचालित है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी संभाग मुख्यालयों में पशु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी।

2.6 विभिन्न संक्रामक रोगों की आधुनिक तकनीक से जाँच हेतु प्रदेश में संचालित राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला का BSL II स्तर पर सुदृढीकरण किया जा रहा है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदेश के शेष छः संभागीय मुख्यालयों पर संचालित रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं को भी BSL II स्तर पर सुदृढीकरण किया जाएगा।

2.7 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलित पशु रोग निदान सुविधा प्रदेश के समस्त जिलों में विस्तारित किए जाने की कार्ययोजना है।

2.8. प्रदेश की कुल 20,000 ग्राम पंचायतों में 20,000 गौ सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्त ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित गौसेवक उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.9. वर्तमान में प्रदेश के 34 जिलों में पालीक्लीनिक स्वीकृत है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरन प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में पालीक्लीनिक की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।

2.10. वर्तमान में 40 आदिवासी विकासखण्डों में अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाईयाँ संचालित की जा रही है तथा 27 विकासखण्डों में चल विरूजालय विभाग द्वारा संचालित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्हें बढ़ा कर समस्त 89 विकासखण्डों में अनुबंध के आधार पर उक्त इकाईयाँ संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

2.11. प्रदेश में वर्तमान में 1744 पशु औषधालय संचालित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाएगी।

2.12. प्रदेश में वर्तमान में 676 पशु चिकित्सालय संचालित है। चिकित्सा सुविधा क्षेत्र और विस्तारित करने की दृष्टि से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 323 पशु औषधालयों का उन्नयन किया जाएगा तथा इसी प्रकार 964 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में इसी अवधि में उन्नयन किया जाएगा।

2.13 **नवीन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु नियामक प्रणाली विकसित की जाएगी एवं कम कीमत पर पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा सेवाओं की त्वरित उपलब्धता के दृष्टिगत् सूचना प्रसार तकनीक के अधिकाधिक उपयोग हेतु प्रणाली विकसित की जाएगी ।**

2.14 वर्तमान में विभागीय कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं द्वारा कुल प्रजनन योग्य मादाओं की 34 प्रतिशत सँख्या को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढाकर 60 प्रतिशत किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। लोक निजी भागीदारी कार्यक्रम के तहत भी इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत पहुंच विहीन क्षेत्रों में प्रजनन योग्य मादा पशुओं का प्राकृतिक गर्भाधान से वर्तमान आच्छादन 11.45 प्रतिशत में वृद्धि कर 40 प्रतिशत किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

2.15 वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत म.प्र.कुक्कुट एवं पशुधन विकास निकाय द्वारा संचालित केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल में 11.00 लाख डोज हिमीकृत वीर्य का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। इसका सुदृढ़ीकरण करते हुये हिमीकृत वीर्य का उत्पादन 25 लाख डोज प्रति वर्ष किया जाएगा।

2.16 मध्यप्रदेश की मालवी, निमाड़ी एवं केनकथा गौवंश की नस्लों तथा भदावरी भैंस वंश की नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा।

2.17 31 मार्च 2011की स्थिति में कार्यरत दुग्ध के समितियों की सँख्या 4116 थी। आगामी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कार्यरत दुग्ध समितियों की सँख्या बढ़ाकर 7232 की जाएगी।

2.18 वर्ष 2010–11 के दौरान दुग्ध समितियों के माध्यम से 5.87 लाख किलोग्राम प्रतिदिन के मान से दुग्ध संकलन किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान प्रतिदिन औसतन 11. 08 लाख किलोग्राम दुग्ध के संकलन का लक्ष्य रखा गया है।

2.19 दुग्ध संघो द्वारा 4.95 लाख लीटर प्रतिदिन औसत के मान से दूध विक्रय किया गया है। 12वी पंचवर्षीय योजना के अंत में 7.02 लाख लीटर औसत प्रतिदिन के मान से दूध विक्रय किया जाएगा।

2.20 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष में विभिन्न पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधान एवं नवीन तकनीक की जानकारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को उपलब्ध कराई जा सके।

2.21 **सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को प्रत्येक 6 वर्ष में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान/विभागीय कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान में प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि समय–समय पर पशुपालन से संबंधित नवीन जानकारियॉ संबंधित अमले को उपलब्ध हो सके।**

2.22 कुक्कुट की मध्य प्रदेश की स्थानीय नस्ल कड़कनाथ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8,827 कड़कनाथ नस्ल की इकाईयों का वितरण किया जाएगा।

2.23 प्रदेश में हरे चारे की वास्तविक आवश्यकता 2000 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध उत्पादन मात्र 550 लाख मीट्रिक टन है जबकि सूखे चारे की आवश्यकता 650 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध उपलब्धता 700 लाख मीट्रिक टन है। आवश्यकता के समय चारा उपलब्ध हो सके इस हेतु चारा बैंक की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह प्रयास किया जाएगा कि आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिले के लिए चारा बैंक उपलब्ध हो।

2.24 ग्रामीण बैकयार्ड योजना अन्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,000 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

2.25 पोल्ट्री वेन्चर केपिटल फण्ड योजना अन्तर्गत आगामी पंचवर्षीय योजना में 14 निजी कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु कुक्कुट पालकों को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा तथा कुककुट प्रक्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।

2.26 स्माल होल्डर पोल्ट्री अण्डा उत्पादन इकाई अन्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

2.27 दुधारू पशु धन बीमा योजना वर्तमान में प्रदेश के 20 जिलों में संचालित है। इसका विस्तार प्रदेश के 50 जिलों में किया जाएगा।

2.28 प्रत्येक जिलें में पशु हाट एवं पशु मंडियों को व्यवसायिक रूप देकर यहां आवश्यक अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

3.0 रणनीति

प्रदेश में पशुपालन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा पशुधन विकास नीति तैयार की गई है। नीति के अनुरूप ही कार्ययोजना में लक्ष्यों का निर्धारण किया गया हैं एवं इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये एक सुस्पष्ट रणनीति तैयार की गई है, जिसके मुख्य घटक निम्नानुसार है :–

3.1 पशु स्वास्थ्य सुविधा

3.1.1 प्रदेश में पशु चिकित्सा कव्हरेज को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पशु चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना, सुदृढीकरण एवं विस्तार।

3.1.2 रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं का आधुनिकीकरण एवं रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की पहुँच का दूरस्थ अंचलों तक विस्तार।

3.1.3 पशु टीका दृव्य का आधुनिक तकनीक से मानकों के अनुरूप उत्पादन ।

3.1.4 सूचना तकनीक के माध्यम से पहुँच विहीन क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता एवं महत्वपूर्ण पशु रोगों की रोकथाम एवं निदान।

3.2 पशु नस्ल सुधार

3.2.1 भारतीय नस्ल के पशुओं को उनके मूल परिवेश में संरक्षित कर इन नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन ।

3.2.2 नस्ल सुधार के लिए उन्नत जर्म प्लाज्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चयन, उनका उत्पादन व उसकी आपूर्ति ।

3.2.3 पशु प्रजनन नीति अनुसार विभिन्न क्षेत्रों हेतु प्रजनन कार्यक्रम का निर्धारण।

3.2.4 पशु प्रजनन कार्यक्रम का सुदृढीकरण एवं विस्तार।

3.2.5 प्रगामी क्षेत्रों में उच्च अनुवांशिक गुण वाले पशुओं को प्रदाय।

3.2.6 प्रोजेनी परीक्षण एवं उच्च आनुवांशिक गुण वाले सांडों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य की उपलब्धता एवं वितरण।

3.2.7 सांडों के उत्पादन हेतु पशु प्रजनन की आधुनिकतम तकनीक जैसे ई.टी.टी.(Embryo Transfer Tenchnology) का उपयोग ।

3.2.8 जन निजी भागीदारी के माध्यम से पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का संचालन।

3.2.8 पशु प्रजनन हेतु वैज्ञानिक पद्धति जैसे चयनित प्रजनन, ओ.एन.बी.एस.(Open Nucleus Breeding System), प्रोजेनी टेस्टिंग आदि के माध्यम से पशुओं में प्रजनन।

3.2.9 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण एवं विस्तार।

3.3 डेयरी विकास

3.3.1 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा संचालित दुग्ध समितियों से विभागीय संस्थाओं का समन्वयन।

3.3.2 दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार ।

3.3.3 वर्तमान विपणन क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु छोटे शहरों में वितरकों की नियुक्ति।

3.4 कुक्कुट विकास

3.4.1 कुक्कुट व्यवसायियों को कुक्कुट पालन से संबंधित अंधोसंरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में ब्रायलर पोल्ट्री स्टेट एवं एक लेयर पोल्ट्री स्टेट की स्थापना।

3.4.2 प्रदेश की चिन्हित कुक्कुट नस्ल कड़कनाथ का संरक्षण एवं संवर्धन।

3.4.3 कुक्कुट पालन के क्षेत्र में सहकारिता को बढावा ।

3.4.4 प्रदेश के समस्त 9 शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों की क्षमता का पूर्ण दोहन।

3.4.5 निजी कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों की स्थापना को बढावा।

3.4.6 बैकयार्ड पोल्ट्री व कड़कनाथ प्रदाय योजना पर अधिक जोर देना।

3.5 बकरी एवं सूकर विकास

3.5.1 प्रदेश में बकरी एवं सूकर पालन की गतिविधियों को आयमूलक बनाए जाने के लिए इन गतिविधियों हेतु बैंक लिंकेज एवं पारदर्शी विपणन प्रणाली का विकास।

3.5.2. बकरी एवं सूकर पालन की गतिविधियों को सहकारिता से जोडकर इन पशुओं के क्रय विक्रय एवं इनसे प्राप्त उत्पादों की विपणन प्रणाली का सुदृढीकरण।

3.5.3 भारतीय नस्ल की बकरियों का संरक्षण एवं संवर्धन।

3.6. पशु आहार एवं चारा विकास

3.6.1. वर्ष भर चारा उत्पादन कार्यक्रम एवं चारागाह विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन।

3.6.2 उन्नत चारे की प्रजातियों को पशुपालकों के लिये उपलब्धता।

3.6.3 हरे चारे के उपलब्धता में वृध्दि हेतु डेयरी केचमेंट एरिया में चारा उत्पादन हेतु प्रयास।

3.6.4 चारा उत्पादन एवं पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु तकनीक का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन ।

3.6.5 प्रक्षेत्रों में चारा बीज एवं बहुवर्षीय चारा रुट स्लिप के उत्पादन उपरान्त स्थानीय पशुपालकों को प्रदाय।

3.6.6 चारा बीज उत्पादकों को बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन।

3.6.7 वन भूमि में ग्राम वन विकास समितियों के माध्यम से बहुवर्षीय चारे के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना एवं सदस्यों को रूट स्लिप के विक्रय हेतु प्रोत्साहन।

3.6.8 चारा ब्लाक बनाने वाली इकाईयों की स्थापना।

3.7 विपणन

3.7.1 पशुपालन से अधिक आय अर्जित करने के लिए संबंधित साझेदारों को संगठित किया जाना। जिससे आदान, पशुपालन एवं विपणन के क्षेत्र में साझेदारों में सामंजस्य स्थापित हो सके।

3.7.2 आदान सेवाओं की सुलभता।

3.7.3 उत्पादों की विपणन श्रृंखला का निर्माण।

3.7.4 अण्डे एवं मांस के विपणन हेतु सहकारिता को बढावा।

3.8 विस्तार एवं क्षमता विकास

3.8.1 पशु पालन,पशु चिकित्सा व रोग अन्वेषण के क्षेत्र मे वर्तमान में प्रचलित आधुनिकतम तकनीकों की जानकारी से तकनीकी अमले का क्षमता वर्धन।

3.8.2 विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार।

3.8.3 प्रक्षेत्रों पर "देखों और सीखों" पद्धति से पशुपालकों को उन्नत तकनीकों एवं आधुनिक पशुपालन की जानकारी का प्रदाय।

3.9 अनुसंधान एवं विकास

3.9.1 पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालकों व चिकित्सकों को आ रही कठिनाईयों के चिन्हांकन एवं प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इन कठिनाईयों के निराकरण के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों को प्रोत्साहन।

3.9.2 मैदानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान पर जोर।

3.10 नियमन एवं मानकीकरण

3.10.1 पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित समस्त अधिनियम एवं नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन।

3.10.2 विभिन्न प्रकार के पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली का विकास।

3.11 समीक्षा एवं मूल्यांकन

3.11.1 सूचना प्रचार तकनीक के नवाचारों का उपयोग करते हुए पशु उपचार, रोगों का नियंत्रण तथा उनकी समीक्षा एवं मूल्यांकन।

3.11.2 विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा एवं आकलन हेतु जन सहभागिता के माध्यम से सामुदायिक सूचना प्रणाली का विकास।

4- Ik'k LokLF; Ifo/kk

राष्ट्रीय कृषक आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक 5000 केटल यूनिट (गौ–भैंस वंश) पर एक पशु चिकित्सा संस्था होना आवश्यक है। साथ ही भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 की धारा 30 के अनुसार प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था का संचालन पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी.व्ही.एस.सी.) के अधीन होना चाहिए। मध्यप्रदेश में 310-44 लाख गौ–भैंस वंश पर 5855 पशु चिकित्सा संस्थाओं की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 2448 पशु चिकित्सा संस्थाएं (677 पशु चिकित्सालय व 1744 पशु औषधालय एवं 27 चल विरूजालय) उपलब्ध हैं । चूँकि पशु चिकित्सा संस्थाएँ न केवल पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराती है वरन यह संस्थाएँ पशु पालन की योजनाओं व आधुनिक तकनीकों के विस्तार का कार्य भी संपादित करती हैं अतः संस्थाओ की यह कमी पशु चिकित्सा सुविधाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इस हेतु प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थाओं की सँख्या बढ़ाना एवं उनका आधुनिकीकरण व सदृढ़ीकरण करना विभाग की प्राथमिकता है।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा में वृद्धि के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि हम वर्तमान में संचालित रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं का सदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण भी करें। वर्तमान में पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं 22 जिलों में संचालित हैं। इन प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के साथ इनका विस्तार प्रदेश के समस्त 50 जिलों में किया जाना होगा। इस के साथ ही रोग अन्वेषण हेतु प्राथमिक सुविधाएँ प्रदेश के प्रत्येक पशु चिकित्सालय को उपलब्ध कराई जाना होंगी जिससे रोग का त्वरित निदान किया जा सके।

टीकाकरण पशुपालन व प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये टीकाकरण विभाग की प्राथमिकता है। विभाग द्वारा टीकाद्रव्य उत्पादन व टीकाकरण में अधिक से अधिक पशु सँख्या के कव्हरेज के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में माँग व वर्तमान में प्रचलित मानकों को पूर्ण करने हेतु टीकाद्रव्य उत्पादन करने वाली संस्थाओं का आधुनिकीकरण किया जाना होगा। गुणवत्ता युक्त पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु एवं उनके विस्तार की कार्य योजना निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 3 पशु स्वास्थ्य रक्षा की विगत पाँच वर्षो की जानकारी(लाख में)

क्रं0	विवरण	वर्ष				
		2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 lHkkfor
1	पशु उपचार	41.85	40.53	43.41	47.42	56.88
2	औषधि वितरण	26.99	25.49	29.47	38.12	42.16
3	टीकाकरण	101.52	104.73	111.77	120.23	101.79
4	टीकाद्रव्य उत्पादन	65.57	132.01	148.54	178.04	179.00
5	जाँच किए गए नमूनों सँख्या	3.31	3.61	4.09	3.58	4.00

तालिका कमांक 4
पशु स्वास्थ्य रक्षा की आगामी पाँच वर्षों की lHkkfor जानकारी(लाख में)

क.	विवरण	वर्ष				
		2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17
1	पशु उपचार	62.57	68.82	75.71	83.28	91.61
2	औषधि वितरण	46.30	50.90	55.90	61.50	67.60
3	टीकाकरण	111.97	123.17	135.49	149.04	163.94
4	टीकाद्रव्य उत्पादन	181.00	200.00	240.00	280.00	300.00
5	जाँच किए गए नमूनों सँख्या	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0

4-1 Ik'k fpfdRlk l|fo/kkvk d l n<hdj.k o mud foLrkj d ?kVd

4.1.1 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना

वर्तमान में विभाग द्वारा नवीन पशु औषधालय की स्थापना योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को निकटतम दूरी पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007—08 से वर्ष 2011—12 तक 114 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जा चुकी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में चरणबद्ध तरीके से 200 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाएगी। एक पशु औषधालय अनुमानित 5000 पशुओं को पशु चिकित्सीय सुविधा प्रदाय करता है। इस प्रकार आगामी वर्षों में अनुमानित 10.00 लाख अतिरिक्त पशुओं को नवीन पशु औषधालयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जा सकेगा। नवीन पशु औषधालयों की चरणबद्ध जानकारी तालिका कमांक पाँच में दी गई है।

तालिका कमांक 5

नवीन पशु औषधालय की स्थापना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि					बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य			
वर्ष	सँख्या	व्यय (रू.लाख में)	प्रतिवर्ष अतिरिक्त कवरेज (लाख में)		वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)	प्रतिवर्ष अतिरिक्त कवरेज (लाख में)
2007—08	13	64.12	0.65		2012—13	40	**279.08**	2.00
2008—09	26	138.96	1.30		2013—14	40	**279.08**	2.00
2009—10	12	87.52	0.60		2014—15	40	**279.08**	2.00
2010—11	29	162.93	1.45		2015—16	40	**279.08**	2.00
2011—12	34	168.84	1.70		2016—17	40	**279.08**	2.00
योग	**114**	**622.37**	**5.70**		**योग**	**200**	**1395.08**	**10.00**

4.1.2 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पंजीकृत पशु चिकित्सकों द्वारा पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 112 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालय में उन्नयन किया गया है। पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर एवं गुणवत्ता युक्त बनाने हेतु आगामी पंचवर्षीय योजना में 323 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाएगा। चूँकि एक पशु औषधालय के पशु चिकित्सालय में उन्नयन होने से अनुमानित 10,000 अतिरिक्त पशु सँख्या को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है अतः इस प्रकार अनुमानित 32.30 लाख अतिरिक्त पशुओं को उन्नयित पशु चिकित्सालय के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जा सकेगा। पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन की जानकारी तालिका क्रमांक छः में दी गई है।

तालिका क्रमांक 6

पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि					बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य			
वर्ष	सँख्या	व्यय (रू.लाख में)	प्रतिवर्ष अतिरिक्त कवरेज (लाख में)		वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)	प्रतिवर्ष अतिरिक्त कवरेज (लाख में)
2007–08	24	137.92	2.40		2012–13	323	4089.83	32.30
2008–09	19	182.59	1.90					
2009–10	8	55.37	0.80					
2010–11	33	229.17	3.30					
2011–12	28	162.00	2.80					
2011–12 (प्रस्तावित)	63	797.17 (प्रस्तावित)	6.30					
योग	**175**	**1564.22**	**17.50**		**योग**	**323**	**4089.83**	**32.30**

4.1.3. पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं नवीन संस्था भवन निर्माण

वर्तमान में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 138 संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आगामी पंचवर्षीय योजना में 200 पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जिस पर रू. 600.00 लाख का व्यय आएगा। इसी तरह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 38 भवन विहीन संस्थाओं के भवनो का निर्माण किया गया है एवं बारहवी पंचवर्षीय योजना में 250 संस्थाओं का भवन निर्माण प्रस्तावित है। जिस पर रू. 1575.00 लाख का व्यय सम्भावित है। पशु चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन संस्था भवन निर्माण की चरणबद्ध जानकारी तालिका क्रमांक सात एवं आठ में दर्शाई गई है।

तालिका कमांक 7

नवीन संस्था भवन निर्माण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	सँख्या	व्यय (रू. लाख में)		वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू. लाख में)
2007—08	1	14.75		2012—13	50	315
2008—09	7	59.90		2013—14	50	315
2009—10	4	29-97		2014—15	50	315
2010—11	10	89-46		2015—16	50	315
2011—12	16	100-00		2016—17	50	315
योग	**38**	**294-08**		योग	250	**1575**

तालिका कमांक 8

पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	सँख्या	व्यय (रू,लाख में)		वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू. लाख में)
2007—08	35	105		2012—13	40	120
2008—09	44	132		2013—14	40	120
2009—10	17	51		2014—15	40	120
2010—11	50	150		2015—16	40	120
2011—12	10	30		2016—17	40	120
योग	**156**	**468**		योग	**200**	**600**

4-1-4- d`f=e xHkkZ/kku midsUnz bdkbZ;ksa dk i'kq vkS"k/kky;ksa esa mUu;u

कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा को सुलभ बनाने हेतु विभाग द्वारा चयनित क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में ऐसे संचालित 964 उपकेन्द्रों को पशु औषधालयों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी।एक पशु औषधालय अनुमानित 5000 पशुओं को पशु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदाय करता है। इस प्रकार आगामी वर्षों में अनुमानित 48.20 लाख अतिरिक्त पशुओं को उन्नयित पशु औषधालयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जा सकेगा। आगामी पंचवर्षीय योजना में कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों का पशु औषधालयों में उन्नयन की जानकारी तालिका कमांक नौ में दी गई हैं ।

तालिका क्रमांक 9

कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों का i'k vk"k/kky;k में उन्नयन

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य			
वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)	प्रतिवर्ष अतिरिक्त कवरेज (लाख में)
2012–13	192	576.00	9.60
2013–14	193	579.00	9.65
2014–15	193	579.00	9.65
2015–16	193	579.00	9.65
2016–17	193	579.00	9.65
योग	**964**	**2892.00**	**48.20**

4-1-5- अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन

प्रदेश में वर्तमान में कुल 89 आदिवासी विकास खण्ड है। इनमें से 27 विकासखण्डों में चल विरूजालय विभाग द्वारा संचालित हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। आदिवासी क्षेत्रों के पशुपालकों को सहजता से घर पहुँच पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के 40 आदिवासी विकास खण्डों में अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाईयों का संचालन बाहरी एजेन्सी (out sourcing) के माध्यम से किया जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शेष 22 आदिवासी विकासखण्डों में भी अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी तथा आदिवासी विकास खण्डों में चलित इन पशु चिकित्सा इकाईयों में वाहनों की मानीटरिंग करने हेतु व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इन चल पशु चिकित्सा इकाई के संचालन में लगभग रू.8.00 लाख प्रतिवर्ष का व्यय आता है अतः प्रतिवर्ष इनके संचालन में रू. 496 लाख का कुल व्यय आएगा। चूँकि एक अनुबंधित चल पशु चिकित्सा इकाई अनुमानित 30,000 पशु सँख्या को पशु चिकित्सीय सुविधा प्रदाय करता है अतः इस प्रकार अनुमानित 6.60 लाख अतिरिक्त पशुओं को उक्त चल पशु चिकित्सा ईकाई के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जा सकेगा।

4-1-6- ई वेट प्रोजेक्ट

पशुपालकों को विशेष तौर पर दूर–दराज के क्षेत्र के पशुपालकों को ''घर पहुँच'' पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑन लाइन कन्सल्टेंसी के माध्यम से पशु उपचार कराए जाने की योजना निर्मित की गयी है। इस योजनान्तर्गत कम लागत में पशुओं के उपचार की सुविधा पशुपालकों के घरों में पैरावेट (सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों व प्रशिक्षित गौसेवकों) के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। परियोजना के तहत् पशुपालकों के द्वारा पैरावेट को सूचना देने उपरांत सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुये पैरावेट पीडीए सिस्टम के माध्यम से पशु चिकित्सक से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर पीड़ित पशु का उपचार करेगा। उपरोक्त कार्यक्रम से पशुपालक को तत्काल पीड़ित पशु का उपचार पंजीकृत पशु चिकित्सक के माध्यम

से उपलब्ध होगा तथा पशु पालक पर आर्थिक भार भी न्यूनतम रहेगा। प्रारंभिक रूप से पायलेट के रूप में यह योजना प्रदेश के बैतूल एवं सीहोर जिलों में संचालित की जाएगी तथा प्राप्त अनुभवों के आधार पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसे समस्त जिलों के पहुॅच विहीन क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। **वर्ष 2011–12 में ई वेट परियोजना पर रू.144.57 लाख का व्यय आएगा।**

4.1.7 जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों का पॉलीक्लीनिक में परिवर्तन

पशुपालकों को एक ही भवन के अन्तर्गत आधुनिकतम उपचार एवं निदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को पॉलीक्लीनिक का स्वरूप दिया जा रहा है। इन पॉलीक्लीनिक्स में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पदस्थ किया गया है एवं निदान हेतु आधुनिक मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिससे पशुपालकों को गुणवत्ता युक्त पशु उपचार की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। वर्तमान में 34 जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को पॉलीक्लीनिक का स्वरूप प्रदान किया गया है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष 16 जिलों के पशु चिकित्सालयों को चरणबद्ध तरीके से पॉलीक्लीनिक का स्वरूप दिया जाएगा। नवीन पॉलीक्लीनिक की स्थापना से संबंधित जानकारी तालिका क्रमांक दस में उपलब्ध है।

तालिका क्रमांक 10

पॉलीक्लीनिक की जानकारी

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	सँख्या	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2009–10	9	864.00		2012–13	4	384.00
2010–11	15	1440.00		2013–14	3	288.00
2011–12	10	960.00		2014–15	3	288.00
योग	**34**	**3264.00**		2015–16	3	288.00
				2016–17	3	288.00
				योग	**16**	**1536.00**

4.1.8 पशु आश्रय स्थल''आसरा'' की स्थापना

बेसहारा पशुओं को उपचार व आश्रय के माध्यम से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नगर निगम के सहायोग से ''आसरा''के नाम से यह नवाचार प्रारम्भ किया गया है। आसरा हेतु समस्त अद्योसंरचना नगर निगम द्वारा एवं तकनीकी अमला तथा सहायक अनुदान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में योजना भोपाल में संचालित है। पशु आश्रय स्थल में श्वानों की शल्य क्रिया द्वारा नसबंदी एवं एंटीरैबीज के टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है, ताकि क्षेत्र को रैबीज रोग से मुक्त रखा जा सके। प्रदेश के शेष समस्त संभागीय मुख्यालयों में बारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान''आसरा'' की स्थापना की

जाएगी। पशु आश्रय स्थल के माध्यम से विभिन्न पशु जन्य रोगों के रोकथाम एवं उपाय की जानकारी भी दी जाना प्रस्तावित है।

4.1.9 गौसेवक योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक प्रदेश की 23,051 ग्राम पंचायतों में से 20,000 शिक्षित बेरोजगारों को गौसेवक योजनांतर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष 3051 पचांयतों में भी उक्तानुसार (प्रति पंचायत के मान से) प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त यह गौसेवक अपने क्षेत्र में प्राथमिक पशु चिकित्सा पशुपालकों को उपलब्ध कराकर स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिका क्रमांक ग्यारह में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 11

प्रस्तावित गौसेवक प्रशिक्षण की जानकारी

वर्ष	सँख्या
2012–13	1051
2013–14	1000
2014–15	1000
योग	**3051**

4.2. रोग नियंत्रण एवं निदान

4.2.1. रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं का विस्तारीकरण

वर्तमान में प्रदेश के सिर्फ 22 जिलों में रोग अन्वेषण प्रयोगाशालाएँ संचालित हैं। रोग निदान को बेहतर एवं त्वरित बनाने हेतु प्रदेश के शेष 28 जिलों में रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। वर्षवार जानकारी तालिका क्रमांक बारह में दी गई है।

तालिका क्रमांक 12

प्रस्तावित रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएँ

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	सँख्या	अनुमानित व्यय (रू. लाख में)
2012–13	5	180.25
2013–14	5	180.25
2014–15	6	216.30
2015–16	6	216.30
2016–17	6	216.30
योग	**28**	**1009.40**

4.2.2 चलित रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशु रोगों के त्वरित निदान एवं रोकथाम के उद्देश्य से 50 जिलों में चरणबद्ध तरीके से चलित रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी

जिससे संक्रामक बीमारियों की उचित रोकथाम हो सकेगी। चलित रोग निदान प्रयोगशालों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं नमूनों को एकत्रित किया जाएगा एवं नमूनों का त्वरित परीक्षण कर रोग नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही की जाएगी। आगामी पंचवर्षीय योजना में चलित रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना संबंधित जानकारी तालिका क्रमांक तेरह में दी गई है।

तालिका क्रमांक 13

प्रस्तावित चलित पशु रोग निदान यूनिट

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2012–13	10	183.60
2013–14	10	183.60
2014–15	10	183.60
2015–16	10	183.60
2016–17	10	183.60
योग	**50**	**918.00**

4.2.3. रोग अन्वेषण प्रयोगशलाओं का BSL-II स्तर पर सुदृढ़ीकरण

विभिन्न संक्रामक रोगों की आधुनिक तकनीक से जाँच हेतु प्रदेश में संचालित राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला का BSL-II (Bio security level) स्तर का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जहाँ पर आधुनिक तकनीक से संक्रामक रोगों की त्वरित जाँच हो सकेगी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में संभागीय मुख्यालयों पर संचालित 6 अन्य रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं का भी BSL-II स्तर पर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नवीन BSL-II प्रयोगशाला हेतु रू.30.00 लाख प्रति प्रयोगशाला का व्यय आएगा। इस प्रकार आगामी पंचवर्षीय योजना में शेष 6 संभागों में प्रयोगशाला की स्थापना हेतु रू.180 लाख का व्यय आएगा जिसकी जानकारी तालिका क्रमांक चौदह में दी गई है।

तालिका क्रमांक 14

प्रस्तावित नवीन BSL-II प्रयोगशाला

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2012–13	2	60
2013–14	1	30
2014–15	1	30
2015–16	1	30
2016–17	1	30
योग	**6**	**180**

4.2.4. आधुनिक क्षय रोग निदान केन्द्र

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अंतर्गत आधुनिक क्षय रोग निदान केन्द्र की स्थापना की जाएगी। जिसके अंतर्गत पालतू एवं जंगली पशुओं के सेम्पल की जांच आधुनिक तकनीक से की जाएगी।

4.2.5. टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा

टीकाकरण कार्यक्रम के बेहतर निष्पादन एवं समीक्षा हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना लक्षित है।

4.2.6. रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना

प्रदेश में पशुओं के विभिन्न संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियंत्रण हेतु राज्य स्तर एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। ये रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ, जिले के रोग नियंत्रण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा पशुपालकों को रोग नियंत्रण संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा।

4.3. आधुनिक तकनीक से गुणवत्ता युक्त टीकाद्रव्य का उत्पादन एवं परिवहन

4.3.1 पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूँ का सुदृढ़ीकरण

पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूँ की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह संस्था प्रदेश में विभिन्न पशु रोगों की रोकथाम हेतु टीका द्रव्य उत्पादित करने वाली एक मात्र संस्था है जिसके द्वारा उत्पादित टीके संपूर्ण प्रदेश में निःशुल्क एवं छत्तीसगढ़ को नाम मात्र शुल्क पर प्रदाय किए जाते है। साथ ही संस्था द्वारा उत्पादित एन्थ्रेक्स स्पोर टीका द्रव्य सुरक्षा सेवाओं के प्रक्षेत्रों को भी प्रदाय किया जाता है। सँस्थान द्वारा 12 प्रकार के टीकों का उत्पादन किया जाता है जो कि HS, BQ, Anthrax spore vaccine, Entero toxaemia, Sheep Pox, Mareks, R_2B, F-strain, Fowl Pox, Rabies-SD,Rabies-MD, एवं Swine fever है। इसके अतिरिक्त FMD एवं PPR Vaccine क्रय करके क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के टीकाद्रव्य कार्यक्रम को सुदृढ़ करने एवं पशु स्वास्थ्य रक्षा को बेहतर बनाने हेतु उक्त सँस्थान का नवीन GMP मानकों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ताकि प्रदेश में पशु रोगों की रोकथाम का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। GMP मानकों के अनुरूप नवीनीकरण उपरांत संस्था द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के टीकों का उत्पादन करने के साथ ही कई अन्य टीका द्रव्यों का उत्पादन संभव हो सकेगा। आधुनिक तकनीकों द्वारा सँस्थान की टीका उत्पादन क्षमता के वृद्धि होगी एवं पशु स्वास्थ रक्षा कार्यक्रम बेहतर हो सकेगा। पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूँ के सुदृढ़ीकरण संबंधित जानकारी तालिका क्रमांक में पन्द्रह दी गई है।

तालिका क्रमांक 15

प्रस्तावित पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूँ का सुदृढ़ीकरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य	
वर्ष	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख मे)
2012–13	2100.49
2013–14	1900.24
2014–15	900.27
योग	**5000.00**

4.3.2. संभागीय मुख्यालयों पर शीत गृह का निर्माण

टीकाद्रव्य एवं अन्य जैव उत्पादों के उत्पादन स्तर से पशुपालक के द्वार तक प्रदाय व्यवस्था हेतु शीत श्रृंखला के विकास के लिए संभागीय मुख्यालय पर शीत गृह (Cold storage room) का निर्माण किया जाएगा एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूँ से शीत श्रृंखला में टीकाद्रव्य के परिवहन हेतु आर.के.वी.वाय योजना में टीकाद्रव्य के परिवहन हेतु वाहन क्रय किए जाएंगे।

4.3.3. टीकाद्रव्य के भंडारण व परिवहन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति

टीकाद्रव्य के भंडारण एवं परिवहन हेतु निर्धारित मानकों के पालन हेतु आवश्यक Vaccine carrier, deep freeze, refrigerator आदि का आकलन जिला स्तरीय रोग नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा।

4.4 नवीन संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नियामक प्रणाली का विकास

संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा ''पशुओं के संक्रामक एवं संर्सगजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम 2009'' लागू किया गया है। इस अधिनियम में पशु रोगों की रोकथाम, पशुओं के आवगमन पर नियंत्रण, संक्रमित क्षेत्र के पशुओं के नमूने प्राप्त करना एवं संक्रमित क्षेत्र में पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित करना आदि प्रावधानों के बारे में विभाग के समस्त अमले को विभिन्न कार्यशालाओं आदि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा बाहरी प्रदेशों से आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच विभिन्न पशु जांच चौकियों एवं पशु निरोध स्थल के माध्यम से की जाएगी तथा समय–समय पर उनके रक्त नमूनों, फीकल सेम्पल की जांच की जाएगी।

4.5. बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सूचना प्रसार तकनीक का उपयोग

4.5.1 NADRS (National Animal Disease Reporting System) का उपयोग

सूचना प्रसार तकनीक का उपयोग करते हुए संक्रामक रोगों की रिर्पोटिंग हेतु भारत सरकार द्वारा NADRS सॉफ्टवेयर तैयार कर विकासखण्ड स्तर तक कम्प्यूटर की

सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो अभी पूर्णतः कार्यरत नहीं है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NADRS सॉफ्टवेयर के माध्यम से समस्त संक्रामक बीमारियों की ऑनलाईन रिर्पोटिंग एवं मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

4.5.2 विभागीय वेबसाइट को अधिक उपयोगी बनाना

विभागीय वेबसाइट पर समस्त संक्रामक रोगों की जानकारी एवं उनके टीकाकरण की समय सारणी, विभागीय संस्थाओं की जानकारी, प्रमुख रोगों के लक्षण एवं विभाग में उपलब्ध अमले एवं विशेषज्ञों की जानकारी अपलोड कर बारहवीं पंचवर्षीय योजना मे इसका प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

5- पशु नस्ल सुधार

दुग्ध उत्पादन में वृद्वि के लिये नस्ल सुधार एक प्रमुख कारक है। 18 वीं पशु संगणना के आधार से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादाओ की सँख्या 121.00 लाख है। नस्ल सुधार का कार्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा किया जा सकता है। मापदण्ड अनुसार प्रजनन योग्य मादाओं में से 60 प्रतिशत का कव्हरेज कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से तथा 40 प्रतिशत का कवरेज नैसर्गिक गर्भाधान के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह कव्हरेज हमारे प्रदेश की प्रजजन नीति के अंतर्गत किया जाएगा ।

5.1 i'k i:tuu uhfr

5.1.1 गौवंशीय पशु प्रजनन नीति

प्रदेश की प्रजनन नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर सात पशु प्रजनन क्षेत्रों (ब्रीडिंग जोन) में विभाजित किया गया है एवं इन क्षेत्रों में पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं :–

5.1.1.1 जोन I उत्तरीय नदी घाटी

इस जोन के अन्तर्गत भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर तथा दतिया का अल्प भाग आता है एवं इस जोन में हरियाणा नस्ल की तरह व श्रेणीकृत द्विउद्देशीय गौवंशीय पशु पाए जाते हैं। साधारणतः ये पशु आंशिक स्टाल फीडिंग में पाले जाते हैं। इस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति हरियाणा नस्ल के होम ट्रेक्ट से मिलती जुलती है, अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा। पशुपालकों की मांग पर शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन भी किया जा सकता है।

5.1.1.2 जोन II लैट्रेटिक बेल्ट आफ शिवपुरी

इस जोन के अन्तर्गत शिवपुरी जिला एवं गुना का उत्तरी हिस्सा आता है एवं इस क्षेत्र के गौवंशीय पशु सामान्यतः गहरे लाल रंग के औसत कद काठी के हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं किन्तु इनका दुग्ध उत्पादन कम है। अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी वर्णित नस्ल जैसे हरियाणा, थारपारकर से उन्नयन किया जाएगा। चूँकि शिवपुरी जिला मिल्क शेड में आता है, इसलिए शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में जर्सी नस्ल से संकर प्रजनन अनुशंसित है।

5.1.1.3 **जोन III मालवा का पठार**

इस जोन के अन्तर्गत राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, उत्तरी झाबुआ, मंदसौर एवं नीमच जिले आते हैं एवं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्विउद्देशीय गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। इस जोन के अन्तर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील, राजगढ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर तहसील एवं शाजापुर जिले की आगर एवं शाजापुर तहसील में मालवी नस्ल से चयनित प्रजनन किया जाएगा एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की मांग अनुसार मालवी एवं थारपरकर अथवा गिर नस्ल से उन्नयन तथा शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, एच. एफ. से संकर प्रजनन किया जाना प्रस्तावित है।

5.1.1.4 **जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट**

इस जोन के अन्तर्गत अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील, धार जिले की कुक्षी व मनावर तहसील, जिला खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा जिले की हरदा तहसील तथा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील आती है। इस जोन में गाय की निमाड़ी नस्ल के पशु पाए जाते हैं जो एक भार वाहक नस्ल है। इस जोन के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल–जर्सी से संकर प्रजनन तथा पश्चिम निमाड़–खरगोन व बड़वानी, जिलो में निमाड़ी नस्ल चयनित प्रजनन, पूर्वी निमाड़–खण्डवा, बुरहानपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निमाड़ी नस्ल से चयनित प्रजनन तथा शेष शहरी व मिल्क क्षेत्र में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

5.1.1.5 **जोन V पश्चिमी विंध्य पठार व नर्मदा घाटी**

इस जोन के अन्तर्गत जिला जबलपुर, नरसिंगपुर, सागर, होशंगाबाद, दमोह जिले की दमोह तहसील, छिंदवाडा जिले की अमरवाडा तहसील तथा सिवनी जिला (कुरई विकास खण्ड छोड़कर) आता है एवं इस जोन क्षेत्र में अवर्णित नस्ल के देशी पशु पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार जोन के ग्रामीण क्षेत्र में थारपरकर नस्ल से उन्नयन तथा मिल्क शेड व शहरी क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, होल्स्टीन फ्रिजियन से संकर प्रजनन तथा छत्तीसगढ से जुडे कुछ क्षेत्रों में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

5.1.1.6 **जोन VI पूर्वी विंध्य पठार**

इस जोन के अन्तर्गत दमोह जिले की हटा तहसील, जबलपुर की मुडवारा तहसील एवं जिला रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर,टीकमगढ तथा सीधी जिले का उत्तरी क्षेत्र आते हैं एवं इस जोन की केन घाटी में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्र केनकथा नस्ल का होम लैण्ड है। यह नस्ल प्रसिद्ध भारवाहक नस्ल है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। केनकथा नस्ल के श्रेणीकृत पशु पन्ना व जिले से जुड़े हुए छतरपुर के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार केन नदी घाटी के अजयगढ तहसील के साथ पन्ना में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन, जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में

हरियाणा नस्ल से उन्नयन तथा शहरी क्षेत्र में जर्सी होल्सटीन फ्रीजियन नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

5.1.1.7 **जोन VII पूर्वी सतपुडा का पठार**

इस जोन के अन्तर्गत जिला बालाघाट एवं सिवनी जिले के लखनादोंन तहसील से पूर्वी क्षेत्र की ओर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले तक इस क्षेत्र में देशी अवर्णित नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इस जोन के शहरी क्षेत्र में जर्सी होल्सटीन फ्रीजियन से संकर प्रजनन तथा ग्रामीण क्षेत्र में थारपारकर एवं छत्तीसगढ राज्य से जुडे क्षेत्र में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, नागपुर जिलों से जुडे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट व बैतूल जिलों के चयनित पाकेट में गौलव नस्ल से उन्नयन किया जाना अनुशंसित है।

5.1.2 भैंस वंशीय पशु प्रजनन नीति

5.1.2.1 उत्तरी मध्यप्रदेश के भिंड जिले व समीपस्थ जुड़े क्षेत्र में भदावरी भैंस वंश से उन्नयन तथा मध्यप्रदेश के शेष क्षेत्रों में भैंस वंश का मुर्रा नस्ल से उन्नयन अनुशंसित है।

5.1.3 छोटे पशुओं की प्रजनन नीति

5.1.3.1 राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारबरी बकरों की नस्ल से उन्नयन तथा प्रदेश के शेष क्षेत्र में जमनापारी नस्ल से उन्नयन लक्षित है।

5.1.3.2. कॉरीडेल, रेम्बोलेट की संकर भेड़ नस्ल से स्थानीय भेंड़ों का उन्नयन लक्षित है।

5.1.3.3. मिडिल व्हाइट यार्कशायर सूकर नस्ल से स्थानीय सूकरों का उन्नयन लक्षित है।

5-2 lk'k i|tuu dk;lde dk l|n<hdj.k ,o foLRkkj

पशुगणना 2007 के अनुसार प्रदेश में 121.00 लाख प्रजनन योग्य मादा पशु उपलब्ध थे जो वर्ष 2011 में बढ़कर 137.00 लाख संभावित हैं। पशु सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 60 प्रतिशत (82 लाख) प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा के अंतर्गत लाया जाना है। शेष 40 प्रतिशत (55 लाख) प्रजनन योग्य मादा पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाना है।

वर्तमान में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा 2325, म.प्र. राज्य को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा 755, जे.के.ट्रस्ट ग्राम विकास योजना द्वारा 762 एवं बायफ रिसर्च फॉउन्डेशन द्वारा 127, प्राईवेट ए.आई वर्कर्स **की सँख्या 642** इस प्रकार कुल 4611 कृत्रिम गर्भाधान संस्थाएं कार्यरत हैं। प्रति संस्था 1000 प्रजनन योग्य मादा पशु के मान से 46.11 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के अंतर्गत लाया गया है जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के अंतर्गत लाए जाने वाले कुल प्रजनन योग्य मादा पशुओं (82.00 लाख) का 56.23 प्रतिशत है। इस प्रकार शेष 35.89 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करने के लिये 3589 कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार वर्तमान में प्रजनन योग्य 55 लाख मादा पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाना है। प्राकृतिक गर्भाधान हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे नंदीशाला एवं समुन्नत पशु प्रजनन योजना संचालित हैं। वर्तमान में उक्त योजनाओं में प्रदाय लगभग 10 हजार सांड/पाड़े उपलब्ध हैं। जो लगभग 15 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तद्नुसार वर्तमान में प्राकृतिक गर्भाधान से ब्रीडिंग कव्हरेज 27 प्रतिशत है। शेष 40 लाख मादा पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान के दायरे में लाने के लिए लगभग अतिरिक्त 30,000 सांड/पाड़े की आवश्यकता होगी।

अतः कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान का कव्हरेज बढ़ाने हेतु कार्ययोजना निर्मित की गयी है।

5-2-1 df=e xHkk/kku d: ek/;e l: d0gj:t e: of)

5-2-1-1 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी भागीदारी से एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में नवाचार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जे.के.ट्रस्ट ग्राम विकास येाजना द्वारा 500 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य पहुँच विहीन दूरदराज के क्षेत्रों में जहॉ पशु चिकित्सा विभाग की सेवाएँ सुलभ उपलब्ध नहीं हो पा रहीं हैं गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा तथा अन्य पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,000 अतिरिक्त एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें स्वैच्छिक अशासकीय संगठनों के माध्यम से, म.प्र.राज्य को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा तथा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले केन्द्र शामिल हैं। जानकारी तालिका क्रमांक सोलह में दी गई है।

तालिका क्रमांक 16
आगामी पांच वर्षों में प्रस्तावित एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना

बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य			
वर्ष	**केन्द्रों की सँख्या**	**मादा पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान कव्हरेज में वृद्धि (लाख में)**	**वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)**
2012–13	200	2.0	2400.00
2013–14	200	2.0	2400.00
2014–15	200	2.0	2400.00
2015–16	200	2.0	2400.00
2016–17	200	2.0	2400.00
योग	**1000**	**10.00**	**12000.00**

5-2-1-2 निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित गौ सेवकों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा साथ ही प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराना भी है। इसके अन्तर्गत विभागीय एवं केन्द्र शासन की राष्ट्रीय गौ भैंस वंशीय योजना के तहत गौ सेवकों को चार माह का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण देकर उन्हें किट प्रदाय कर कृत्रिम गर्भाधान के कार्य में संलग्न किया जा रहा है ताकि दूर दराज के क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो सके साथ ही ब्रीडिंग कवरेज बढ़ाए जा सके। अभी तक लगभग 1158 गौसेवको को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जा चुका है एंव आगामी पांच वर्षों में लगभग 2217 गौसेवकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। जिसकी जानकारी का उल्लेख तालिका क्रमांक सत्रह में किया गया है।

तालिका क्रमांक 17

गौ सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	प्रशिक्षत गौ सेवकों की सँख्या	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रशिक्षत गौ सेवकों की सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2007–08	110	39.6		2012–13	410	147.6
2008–09	127	45.72		2013–14	422	151.92
2009–10	122	43.92		2014–15	435	156.60
2010–11	391	140.76		2015–16	450	162.00
2011–12	408 (अनुमानित)	144.0		2016–17	500	180.00
योग	**1158**	**414**		**योग**	**2217**	**798.12**

5-2-2- नैसर्गिक गर्भाधान के माध्यम से कव्हरेज में वृद्धि

5-2-2-1 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज मुर्रा सांड प्रदाय योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पशु पालकों को अनुदान पर मुर्रा सांड प्रदाय किया जा रहा है। इस योजना की इकाई लागत रू. 25000 है एवं पूर्ण लागत रू. 4.52 करोड़ है, इस राशि में कुल 2434 मुर्रा सांड प्रदाय किए जाना लक्षित है।

5-2-2-2 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है,ऐंसे क्षेत्रों में नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना में अनुदान पर भैंसा सांड प्रदाय कर नस्ल सुधार किया जाता है। आगामी पांच वर्षो में 8416 मुर्रा सांड प्रदाय किए जाना प्रस्तावित है। समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत

पिछले पांच वर्षों की उपलब्धि एवं आगामी पांच वर्षों का लक्ष्य तालिका क्रमांक अठारह में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 18

समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदाय किए गए सांडों की जानकारी

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता
2007–08	935	109.53		2012–13	1418	240
2008–09	1760	190.65		2013–14	1534	260
2009–10	989	185.66		2014–15	1683	285
2010–11	1549	215.53		2015–16	1842	312
2011–12	1659	230.52		2016–17	2019	342
योग	**6892**	**931.89**		**कुल**	**8416**	**1439**

5-2-2-3 नन्दीशाला योजना

इस योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित जैसे–साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव, मालवी, निमाड़ी, केनकथा आदि नस्ल के गौ–सांड प्रदाय किए जाते हैं। इन सांडों के माध्यम से स्थानीय अवर्णित नस्ल की गायों का नस्ल सुधार किया जाता है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत कुल 7295 सांडों का वितरण किया गया था। आगामी पंचवर्षीय योजना में लगभग 10,000 गौ सांड प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। चरणबद्ध जानकारी तालिका क्रमांक उन्नीस में दी गई है।

तालिका क्रमांक 19

नंदीशाला योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2007–08	1013	152.5		2012–13	2000	280
2008–09	1364	160		2013–14	2000	280
2009–10	1375	157.46		2014–15	2000	280
2010–11	1903	213.23		2015–16	2000	280
2011–12	1640	230		2016–17	2000	280
योग	**7295**	**913.19**		**योग**	**10000**	**1400**

5.2.3 बधियाकरण

कृत्रिम गर्भाधान को सफल बनाने के लिये तथा दुग्ध उत्पादन की वृद्धि में बधियाकरण का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अवर्णित नस्ल के सांडों का बधियाकरण कर अवांछित सांडों से मादा पशुओं के प्रजनन को रोका जा सकता है एवं उन्नत नस्ल के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर अच्छी दुग्ध उत्पादन वाले पशु पैदा किए जा सकते हैं। बधियाकरण कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर लागू किया जाएगा एवं लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत बधियाकरण का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक तरीके से किए जाने वाले बधियाकरण को हतोत्साहित कर वैज्ञानिक तरीके से बधियाकरण किया जाना प्रस्तावित है। बधियाकरण की प्रगति एवं लक्ष्य की जानकारी का उल्लेख तालिका क्रमांक बीस में किया गया है।

तालिका क्रमांक 20
बधियाकरण की प्रगति

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि			बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य	
वर्ष	बधियाकरण की सँख्या (लाख में)		वर्ष	बधियाकरण की सँख्या (लाख में)
2007–08	3.37		2012–13	4.0
2008–09	3.14		2013–14	4.10
2009–10	3.44		2014–15	4.20
2010–11	3.82		2015–16	4.30
2011–12	3.90(अनुमानित)		2016–17	4.40
योग	**17.67**		**योग**	**21.00**

5.2.4 fo'k"k i'k i:tuu dk;ldie ¼eknk oRl ikyu½

योजना का उद्‌देश्य संकर बछिया या देशी उन्नत नस्ल की बछिया के उचित परिपालन हेतु संतुलित आहार उपलब्ध कराकर गरीब हितग्राहियो में संकर एवं देशी उन्नत नस्ल के वत्स पालन के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। योजना में ऐंसे लघु/सीमान्त कृषकों तथा भूमि हीन कृषि मजदूरों का चुनाव किया जाता है जिनके पास स्वयं की मादा जर्सी संकर बछिया या देशी उन्नत नस्ल की बछिया हो। बछिया के भरण पोषण हेतु 4 से 32 माह की आयु तक संतुलित पशु आहार प्रदाय किया जाता है। इस योजना के माध्यम से गरीब हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के वत्स पालन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विगत 5 वर्षों में 17,245 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है एवं आगामी पंचवर्षीय योजना में 26,784 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की कार्ययोजना है। विस्तृत जानकारी तालिका क्रमांक इक्कीस में दी गई है।

तालिका क्रमांक 21

fo'k"k i'kq iztuu dk;Zde

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि सँख्या	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	सँख्या	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2007–08	3085	102.07		2012–13	4403	158
2008–09	3550	126.26		2013–14	4827	174
2009–10	3199	114.2		2014–15	5300	191
2010–11	3390	123.82		2015–16	5847	211
2011–12	4021	144.21		2016–17	6407	231
योग	**17,245**	**610.56**		**योग**	**26,784**	**965**

5-2-5 पशु संवर्धन एवं उन्नत प्रजनन हेतु विगत पाँच वर्षो की उपलब्धि एवं आगामी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित लक्ष्य तालिका क्रमांक बाईस एवं तेईस में उपलब्ध है।

rkfydk dekad 22

i'kq lao/kZu o mUur iztuu gsrq foxr ikap o"kksZ dh tkudkjh ¼yk[k esa½

d0	fooj.k	o"kZ				
		2007&08	2008&09	2009&10	2010&11	2011&12 ¼lEHkkfor½
1	कृत्रिम गर्भाधान	9.61	10.56	11.86	12.37	12.87
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सो0	2.51	2.94	3.41	3.67	4.00
3	प्राकृतिक गर्भाधान	0.68	1.63	1.99	2.20	2.40
4	प्राकृ0गर्भा0से वत्सोत्पादन	0.33	0.60	0.87	1.26	1.30

तालिका क्रमांक 23

आगामी पांच वर्षों के लिये पशु संवर्धन व उन्नत प्रजनन की जानकारी (लाख में)

क्रं0	**विवरण**	o"kZ				
		2012–13	**2012–14**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**
1	कृत्रिम गर्भाधान	15	17	19	21	23
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सो.	4.37	5.1	5.78	6.46	7.14
3	प्राकृतिक गर्भाधान	3.72	4.92	6.12	7.32	8.52
4	प्राकृ0गर्भा0से वत्सोत्पादन	1.44	2.23	2.95	3.67	4.39

5.3 भारतीय नस्लों का संरक्षण एवं संर्वधन

5.3.1 पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण एवं स्थापना

5.3.1.1. विभाग अन्तर्गत वर्तमान में संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में वर्तमान में सात पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पशु नस्ल का सरंक्षण, सवंर्धन कर प्रक्षेत्र पर उत्पादित साँडों को विभिन्न योजना अंतर्गत पशुपालकों को उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में विभिन्न नस्ल जैसे साहीवाल, जर्सी, गिर, हरियाणा, मुर्रा नस्ल के पशु संधारित किए जा रहे हैं। इन प्रक्षेत्रों में अधिक अद्योसंरचना उपलब्ध कराकर तथा साथ ही बहुआयामी उपयोग कर इन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। विगत 5 वर्षो में प्रदेश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में विभिन्न नस्ल के 1440 वत्सोत्पादन हुआ है एवं आगामी पॉच वर्षों में कुल 2800 वत्सोत्पादन की संभावना है । वर्तमान में कार्यरत पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर संधारित पशुओं की नस्लों की जानकारी तालिका क्रमांक तेईस में दर्शाई गई है।

तालिका क्रमांक 23

विभाग अन्तर्गत संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर संधारित नस्लों की जानकारी

क्र.	प्रक्षेत्र का नाम	पशु नस्ल
1	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,भदभदा, भोपाल	**जर्सी एवं साहीवाल**
2	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,मिनौरा, टीकमगढ़	**हरियाणा**
3	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,रतौना, सागर	**थारपारकर, मुर्रा**
4	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,आगर, शाजापुर	**मालवी**
5	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, रोडिया, खरगौन	**निमाड़ी**
6	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,इमलीखेड़ा, छिन्दवाडा	**साहीवाल**
7	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,गढ़ी बालाघाट	**साहीवाल,गिर**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2008–09, 2009–10 में विभिन्न नस्ल के 457 नवीन पशुओं का उत्प्रेरण **(cattle Induction)** कर उपरोक्त शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में संधारित किए गए हैं। इनसे उत्पन्न होने वाले अच्छी नस्ल के सांड विभिन्न विभागीय योजनाओं में पशु पालकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी वर्षो में प्रदेश के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उपयोग कर पशुपालकों को प्रशिक्षित कर लाभ पहुॅचाया जाएगा। प्रक्षेत्रों को पशु चारा प्रदर्शन इकाई के रूप में भी उपयोग में लाया जाएगा जिससे पशुपालकों को हरा चारा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

5.3.1.2.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत प्रदेश में तीन नवीन पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत प्रदेश में तीन नवीन पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना की जा रही है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

5.3.1.2.1. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी

भदावरी भैंस की नस्ल प्रदेश के भिण्ड, मुरैना जिले की स्थानीय नस्ल है। इसके दूध में वसा का प्रतिशत भैंस वंश में सर्वोच्च होता है। इस नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से शिवपुरी जिले में भदावरी नस्ल के भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है, जिसमें प्रारम्भ में 100 मादा एवं 05 नर से प्रक्षेत्र का प्रारम्भ किया जाएगा। 5 वर्ष के उपरान्त लगभग कुल 550 वत्सोत्पादित होंगे जिनमें से नर वत्सों को प्रजनन योग्य होने पर पशुपालकों को विभागीय योजनाओं में प्रदान किया जाएगा। वत्सोपादन की जानकारी का उल्लेख तालिका क्रमांक 24 में है।

तालिका क्रमांक 24

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी (संभावित वत्सोत्पादन)

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी	2012&13		2013&14		2014&15		2015&16		2016&17	
नर (वत्स)	50	कुल	45	कुल	45	कुल	70	कुल	65	कुल
मादा (वत्स)	50	100	45	90	45	90	70	140	65	130

5.3.1.2.2 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेडी जिला मन्दसौर

गिर नस्ल की भारतीय गौवंश को संरक्षित करने के उद्देश्य से मन्दसौर जिले में गिर नस्ल के पशुओं का प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। जिसमें प्रारम्भ में 100 मादा एवं 05 नर से प्रक्षेत्र का प्रारम्भ किया जाएगा। 5 वर्ष के उपरान्त लगभग कुल 550 वत्सोत्पादित होंगे जिनमें से नर वत्सों को प्रजनन योग्य होने पर पशुपालकों को विभागीय योजनाओं में प्रदान किया जाएगा। वत्सोत्पादन की जानकारी का उल्लेख तालिका क्रमांक 25 में है।

तालिका क्रमांक 25

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेडी जिला मन्दसौर (संभावित वत्सोत्पादन)

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेडी जिला मन्दसौर	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17	
नर (वत्स)	50	कुल	45	कुल	45	कुल	70	कुल	70	कुल
मादा (वत्स)	50	100	45	90	45	90	70	140	70	130

5.3.1.2.3.पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद

जाफराबादी नस्ल की भारतीय भैंस वंश को संरक्षित करने के उद्देश्य से होशंगाबाद जिले में जाफराबादी भैंस नस्ल के पशुओं का प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। जिसमें प्रारम्भ में 100 मादा एवं 05 नर से प्रक्षेत्र का प्रारम्भ किया जाएगा। 5 वर्ष के उपरान्त लगभग कुल 550 वत्सोत्पादित होंगे जिनमें से नर वत्सों को प्रजनन योग्य होने पर पशुपालकों को विभागीय योजनाओं में प्रदान किया जाएगा। वत्सोत्पादन की जानकारी का उल्लेख तालिका क्रमांक 26 में है।

तालिका कमांक 26

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद (संभावित वत्सोत्पादन)

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17	
नर (वत्स)	50	कुल	45	कुल	45	कुल	70	कुल	70	कुल
मादा (वत्स)	50	100	45	90	45	90	70	140	70	130

5.3.1.3 केनकथा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना

पन्ना जिले की गौवंश की मूल नस्ल केनकथा के सरंक्षण एवं संवर्धन हेतु पन्ना जिले के पवई ब्लाक में केनकथा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। प्रक्षेत्र पर उत्पादित साँडों को प्रदेश के पशुपालकों को विभिन्न योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया जावेगा। केनकथा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नवीन प्रक्षेत्र है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं यहॉ 102 केनकथा गाय एवं 3 केनकथा साँड संधारित किए गए हैं । जिनसे उत्पन्न होने वाले अच्छी नस्ल के सांड विभिन्न विभागीय योजनाओं में पशु पालकों को उपलब्ध कराए जाएंगे । आगामी पॉच वर्षों में प्रक्षेत्र पर 550 केनकथा वत्सोत्पादन होने की संभावना है ।

5.4 पशु प्रजनन की उन्नत तकनीक का उपयोग

5.4.1. विभाग द्वारा संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर प्रोजेनी टैस्टिंग के कार्यक्रम लिए जाएंगे एवं उच्च गुणवत्ता वाले सांडों को प्रजनन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

5.4.2. विभिन्न योजनांतर्गत प्रदाय किए जाने वाले साँड एवं प्रक्षेत्रों हेतु पशु उत्प्रेरण अनुवांशिकी के आधार पर किया जाएगा।

5.4.3. भारतीय नस्लों के पशुओं का चयनित प्रजनन (Selective Breeding) कार्यक्रम के द्वारा संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से गोपाल पुरस्कार योजना प्रारम्भ की जा रही है। जिसके अंतर्गत अधिक दूध देने वाली देशी नस्ल की दुधारू गायों के पशुपालकों को प्रत्येक जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना से पूरे प्रदेश के उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गायों का रिकार्ड विभाग के पास उपलब्ध रहेगा एवं इस रिकार्ड के आधार पर उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गायों का चयन कर उनसे कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त नर वत्स को भविष्य में प्रजनन के उददेश्य से उपयोग में लाया जाएगा तथा मादा वत्स को भी भविष्य में कृत्रिम गर्भाधान या उच्च गुणवत्ता वाले सांड से प्रजनन कराकर उनकी संतति का संरक्षण किया जाएगा। साथ ही **Open Nucleus** Breeding System के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से संरक्षण एवं संर्वधन किया जाएगा। जिससे गौवंश/भैंस वंश की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा।

5.4.4. वर्तमान में विभाग में केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल में 11.00 लाख डोज हिमीकृत वीर्य का प्रति वर्ष उत्पादन होता है। इसका सुदृढ़ीकरण करते हुए हिमीकृत वीर्य का प्रति

वर्ष उत्पादन 25 लाख डोज किया जाएगा। जिससे पशुओं को उच्च गुणवत्ता वाला हिमीकृत वीर्य प्रजनन हेतु उपलब्ध हो सकेगा।

5.4.5. Bull Mother Farm भोपाल में शुद्ध भारतीय नस्ल एवं संकर नस्ल का न्यूक्लियस हर्ड तैयार किया जाएगा एवं इन उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं को विभागीय योजनाओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

5.4.6. Bull Mother Farm भोपाल पर पशु प्रजनन की आधुनिक तकनीक जैसे Embryo Transfer Technology को अपनाया जाएगा। जिससे उच्च गुणवत्ता वाले पशु कम समय में प्राप्त हो सकेंगे। इस हेतु बुल मदर फार्म के सुदृढीकरण करते हुए आधुनिक तकनीक के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी।

5.4.7. मध्यप्रदेश की मालवी, निमाडी एवं केनकथा गौवंश की नस्ल तथा भदावरी भैंस वंश की नस्ल का चयनित प्रजनन करवाकर उनका Characterization कराया जाएगा।

5.4.8. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली अवर्णित नस्ल के पशुओं को उनकी शारीरिक बनावट एवं उत्पादन क्षमता के समानता के आधार पर समूह में बांटा जाकर उनके Genotype का परीक्षण National Bureau of Animal Genetic Resource से कराया जाएगा ताकि नवीन स्थानीय नस्ल की संभावना का पता लगाया जा सके।

6.0 डेयरी विकास

भारत वर्ष विगत कई वर्षों से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बना हुआ है। देश की जनसँख्या वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में वृद्धि परिलक्षित हुई है। दूध उत्पादन के साथ–साथ दूध की माँग में भी तेजी से वृद्धि हुई है जो मुख्यतः प्रति व्यक्ति निरंतर बढ़ती आय, सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर में वृद्धि, शहरीकरण, खान–पान में बदलाव, जनसँख्या वृद्धि एवं निर्यात की सम्भावनाओं आदि के कारण होना पाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी हुई आय के कारण दूध की खपत में वृद्धि हो रही है। इसके दृष्टिगत राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गंभीर एवं समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश की माँग की प्रतिपूर्ति के साथ–साथ यथासंभव देश की दूध की क्षेत्रीय एवं मौसमी आवश्यकतों में भी योगदान दिया जा सके।

मध्यप्रदेश की 18 वीं पशुधन संगणना वर्ष 2007 के अनुसार राज्य में 4.75 लाख संकर एंव 214.40 लाख देशी नस्ल के गौ–वंशीय पशुधन हैं जो कि राष्ट्रीय गौ–वंशीय पशु सँख्या का लगभग 11 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कुल 91.29 लाख भैंस वंशीय पशु भी उपलब्ध हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कुल भैंस वंशीय पशुधन का 8.7 प्रतिशत है। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर कुल गौ एवं भैंस वंशीय पशुधन सँख्या के दृष्टिकोण से प्रदेश क्रमशः प्रथम एवं चौथे स्थान पर है जबकि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से इसकी गणना सातवें क्रम में होती है। इन आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि हमारे राज्य में पशुधन की उत्पादकता देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी कम है। राज्य में अवर्णित नस्ल के गौ–वंशीय पशुओं का औसत प्रतिदिन दुग्ध उत्पदन 1.76 लिटर, संकर नस्ल के पशुओं का 5.92 लिटर एवं भैंस वंशीय पशुधन का 3.33 लिटर पाया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत क्रमशः 1.97 लिटर, 6.44 लिटर एवं 4.3 लिटर प्रतिदिन है। राज्य में उपलब्ध में गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं की सँख्या एवं उनकी औसत प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता के दृष्टिगत अवर्णित एवं देशी नस्ल के गौ वंशीय पशुओं के चयनित प्रजनन उन्नयन एवं संकरण तथा भैंस वंशीय पशुओं के

उन्नयन से अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले गौ–भैंस वंशीय पशुओं की सँख्यां में वृद्धि करने एवं उनके उत्तम प्रबंधन के साथ–साथ पालन पोषण की आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग से उनकी उत्पादकता बढ़ाने की विशेष आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में दुधारू पशु पालन की भूमिका क्रमशः अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसे ग्रामीण कृषकों/पशु पालकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के सशक्त माध्यम के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में दुधारू पशु पालन अत्यंत लोकप्रिय विकासात्मक गतिविधि के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रमों के चलते इस व्यवसाय से जुड़ने वाले कृषकों की सँख्या में द्रुत गति से वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की भाँति मध्यप्रदेश में भी सीमांत एवं लघु कृषकों का बाहुल्य है, जो कि राज्य में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का लगभग 65 प्रतिशत अंश धारित करते है। इन्हीं कृषक वर्गों के लोग स्वरोजगार के लिए डेयरी पशु पालन हेतु तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दुग्ध व्यवसाय से लगभग वर्षभर निरंतर आय होने के कारण भूमिहीन वर्ग के हितग्राही भी दुधारू पशुपालन की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इन्ही परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में कृषि क्षेत्र के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के परिदृश्य में अल्पकालीन, मध्यम कालीन एवं दीर्घ कालीन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश की भागीदारी 6.5 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत करने की बात कही गई है।

6.1 राष्ट्रीय डेयरी–योजना (National Dairy Plan)

दूध की निरंतर बढ़ती हुई मांग एवं आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से गौ–भैंस वंश की उत्पादकता एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बढ़े हुए दुग्ध उत्पादन के दक्षता पूर्वक प्रबंधन हेतु दुग्ध संग्रहण, संसाधन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन, वियोजन हेतु आवश्यक अधोसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की भी आवश्यकता होगी।

उक्त परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य शासन, स्टेट डेयरी फेडरेशन/दुग्ध संघों एवं अन्य एजेन्सियों के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

- गौ–भैंस वंशीय पशुओं की उत्पादकता में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
- गौ–भैंस वंशीय पशुओं के प्रबंधन एवं पालन पोषण में सुधार करना।
- गौ–भैंस वंशीय पशुओं की वंशानुगत क्षमता में वृद्धि करना।
- गौ–भैंस वंशीय पशुओं को अपेक्षाकृत श्रेष्ठतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- दुग्ध व्यवसाय में संगठित क्षेत्र की भागीदारी में विस्तार करना।

उक्त उद्देश्यों के दृष्टिगत योजनान्तर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैंः–

गौ–भैंस वंशीय पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम में विस्तार एवं दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति से पशुप्रबंधन, उन्नत किस्म में चारे एवं संतुलित पशु आहार का समुचित उपयोग कर 15 वर्षों में दुग्ध उत्पादन को दुगना करना।

उत्पादित दूध की विक्रय योग्य अतिशेष मात्रा के संसाधन की संगठित क्षेत्र में भागीदारी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना ताकि दुग्ध उत्पादकों का बाजार उपलब्ध हो सके एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उपरोक्तानुसार वर्णित उद्देश्यों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की 15 वर्षीय कार्य योजना एवं तद्नुसार मध्यप्रदेश के लिए 12'वीं' पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी तालिका क्रमांक सत्ताईस में उपलब्ध हैः–

तालिका क्रमांक 27

राष्ट्रीय डेयरी योजना के परिपेक्ष्य में म.प्र.की 12'वीं' पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

क्र.	विवरण (लाख कि.ग्राम प्रतिदिन)	राष्ट्रीय डेयरी योजनान्तर्गत 15 वर्षीय कार्य योजना		मध्यप्रदेश की 12'वीं' पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम	
		वर्तमान स्थिति (वर्ष 2004–05)	योजना के अंत में संभावित स्थिति (वर्ष 2021–22)	वर्तमान स्थिति (वर्ष 2010–11)	12'वी'पंचवर्षीय योजना के अंत में संभावित (वर्ष 2016–17)
1	ग्रामीण दुग्ध उत्पादन	2300	4300	206	277
2	ग्रामीण स्तर पर स्थानीय खपत	1100(48%)	2000 (48%)	146 (71%)	197 (71%)
3	ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों द्वारा शहरी क्षेत्रों में दुग्ध विक्रय	1200 (52%)	2300 (52%)	60 (29%)	80 (29%)
4	विक्रय योग्य अतिशेष दूध की मात्रा				
	(अ.) असंगठित क्षेत्र	830 (70%)	700 (30%)	37 (62%)	32 (40%)
	(ब.) संगठित क्षेत्र I. सहकारी क्षेत्र	200 (16%)	900 (40%)	6 (10%)	11 (14%)
	II. निजी संगठित क्षेत्र	170 (14%)	700 (30%)	17 (28%)	37 (46%)

दुग्ध पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय के द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की संभावनाओं क दृष्टिगत 12'वीं' पंचवर्षीय में दुग्ध उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से डेयरी विकास की अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

6.2 अल्पकालीन योजना

6.2.1. पशु उत्प्रेरण (Cattle Induction)

अल्पकालीन कार्य योजना के अंतर्गत राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सघन डेयरी विकास योजना, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि के तहत दुधारू पशु उत्प्रेरण कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जाएगा। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

6.2.1.1 पशुपालन विभाग की पशु उत्प्रेरण योजना

इस योजना का कियान्वयन पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाता है। यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है जिसके अंतर्गत उन्हें बैंक ऋण एवं अनुदान पर तीन दुधारू पशुओं की इकाइयॉ प्रदान की जाती है। नाबार्ड द्वारा निर्धारित एंव वर्तमान में प्रभावशील इकाई लागत के अनुसार देशी नस्ल की गाय, संकर गाय एवं ग्रेडेड मुर्रा भैंस प्रदाय हेतु तीन पशुओं की इकाई लागत (परिवहन, बीमा एवं औषधि व्यय सहित) क्रमशः रू.54 हजार रू.96 हजारा एवं रू.105 हजार रखी गई है। यह योजना क्लस्टर आधारित है जो सभी जिलों के लिए है। इसके तहत दुग्ध मार्गों पर स्थित ग्रामों को कियान्वयन हेतु प्राथमिकता क्रम में वरीयता दिया जाना है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई अ.ज.जा./अ.जा.वर्ग के हितग्राहियों

के लिए प्रति इकाई 33% एवं सामान्य की हितग्राहियों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इस योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी रखा जाएगा।

6.2.1.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

इस योजना तहत दुधारू पशु उत्प्रेरण का कार्य वर्तमान में म.प्र स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। जो अधिकतम 10 एकड़ तक के सभी वर्गों के भूमि धारक हितग्राहियों के लिए है। योजनान्तर्गत दुधारू पशु उत्प्रेरण का कार्य सीमित जिलों में वर्ष 2011–12 से ही प्रारंभ किया गया है जिसमें हितग्राहियों को बैंक ऋण एवं अनुदान पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत के मान से दो या तीन दुधारू पशुओं की इकाईयॉ प्रदान की जाती है। इसके तहत भी अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए 25% अनुदान का प्रावधान है। इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित करने के प्रयास किए जाएंगे।

6.2.1.3 आचार्य विद्यासागर गौ संर्वधन योजना

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है। इसका क्रियान्वयन भी एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला पशुपालकों को उनकी इच्छानुसार संकर एवं देशी नस्ल की गायें अथवा ग्रेडेड मुर्रा भैंस (प्रति महिला हितग्राही 2 पशुओं की इकाई के मान से) प्रदाय की जाती हैं। योजनान्तर्गत महिला हितग्राहियों को महिला स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित कर उन्हें प्रथमतः दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों से संबद्ध किया जाता है। इस योजना अंतर्गत भी अ.जा. एवं अ. ज.जा. वर्ग की महिला हितग्राहियों को 33% एवं सामान्य वर्ग की महिला हितग्राहियों को 25% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रदान किए जाने वाले दुधारू पशुओं की इकाई लागत का निर्धारण नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी रखा जाएगा।

6.2.1.4 डेयरी उद्यमिता विकास योजना

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना 10'वीं' पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल से ''डेयरी/पोल्ट्री वेंचर केपिटल फण्ड योजना के नाम से संचालित है। जो कतिपय संशोधनों के साथ ''डेयरी उद्यमिता विकास योजना के नाम से 11'वीं' पंचवर्षीय के दौरान भी जारी रखी गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु आधुनिक डेयरी प्रक्षेत्रों की स्थापना करना।
- श्रेष्ठतर गुणवत्ता वाले प्रजनन योग्य पशुओं के विकास हेतु मादा वत्सों के विशेष पालन पोषण को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण स्तर पर दूध के प्रारंभिक संसाधन हेतु ढाँचागत व्यवस्था में परिवर्तित करना।
- व्यवसायिक स्तर पर दूध की हेण्डलिंग हेतु प्रचलित पारंपरिक तकनीक का उन्नयन करना।
- दुग्ध व्यवसाय में संलग्न असंगठित क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

पूर्व में यह योजना केवल नॉन ऑपरेशन फ्लड वाले जिलों के लिए थी परंतु अब इसे सभी जिलों के लिए प्रभावशील किया जा चुका है। यह योजना कृषक परिवारों (परिवार के एक से अधिक सदस्यों के लिए भी), स्व सहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं एवं कम्पनियों आदि के लिए है। इसके क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड को नोडल एजेंसी के रूप में नांमाकित किया गया है। नाबार्ड द्वारा इसे व्यावसायिक, सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 10 दुधारू पशुओं की अधिकतम रू. 5.00 लाख इकाई लागत वाली लघु डेयरी इकाइयाँ स्थापित करने तथा संकर एवं देशी नस्ल के गौ–वंशीय एवं ग्रेडेड मुर्रा के भैंस वंशीय अधिकतम 20 मादा वत्सों के भरण पोषण हेतु रू.4.80 लाख की सीमा तक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त मिल्किंग मशीन /मिल्कोटेस्टर क्रय करने एवं बल्कमिल्क कूलर, दुग्ध संसाधन उपकरण, दूध व दुग्ध पदार्थ के भण्डारण हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत अ.जा. एवं अ.ज. जा. वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33.33 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा बंधन की सीमा सहित) देने का प्रावधान है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसकी निरंतरता की स्थिति में योजनान्तर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा।

6.2.1.5 बुन्देलखण्ड डेयरी विकास पैकेज

मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भारत शासन की आर्थिक सहायता से बुन्देलखण्ड परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे है। इसका क्रियान्वयन एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत अधिकतम 20 एकड़ में तक भूमि धारण करने वाले एवं अधिकतम रूपये 3.00 लाख की वार्षिक आये वाले 18 से 50 वर्ष तक के हितग्राहियों को दो,तीन अथवा पांच दुधारू पशुओं की इकाइयॉ बैंक ऋण/स्वयं के स्त्रोतों एवं अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इनकी इकाई लागत क्रमशः रूपये 88,000, 1,32,000 एवं 2,20,000 ह निर्धारित की गई है। इस योजना में इकाई लागत का 30 प्रतिशत अनुदान हितग्राहियों को दिए जाने का प्रावधान है।

6.2.1.6 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। योजनान्तर्गत सभी वर्गो के बी.पी.एल. हितग्राहियों को समहित स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित कर योजना में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दुधारू पशु इकाईयां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से बी.पी.एल. हितग्राहियों के लिए दुग्ध व्यवसाय के द्वारा आय के अतिरिक्त अवसर सृजित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा के जोडने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि वे स्वावलंबी बन सकें।

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली एवं केन्द्र व तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशु उत्प्रेरण कार्यक्रम की वर्षवार कार्य योजना तालिका क्रमाक अठाईस अनुसार हैः–

तालिका क्रमांक 28

12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पशु उत्प्रेरण की वर्षवार कार्य योजना

वर्ष	पशुपालन विभाग		केन्द्र एवं राज्य शान की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत		योग	
आधार वर्ष	भौतिक लक्ष्य (पशु सँख्या)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाख में)	भौतिक लक्ष्य (पशु सँख्या)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाख में)	भौतिक लक्ष्य (पशु सँख्या)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाख में)
2011–12	630	57	1310	131	1940	188
2012–13	2382	232	2000	200	4382	432
2013–14	2598	253	2300	230	4898	483
2013–15	2847	277	2645	265	5492	542
2013–16	3123	304	3041	304	6164	608
2013–17	3423	333	3498	350	6921	683
योग	**14373**	**1399**	**13484**	**1349**	**27857**	**2748**

6.3. पशु हाट बाजारों की स्थापना

केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के अन्तर्गत पशु उत्प्रेरण हेतु शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गौ एवं भैंस वंशीय पशु मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से क्रय किए जाकर हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सामान्यतः यह कार्य पशु मेलों के आयोजन से करने के प्रयास किए जाते हैं, परन्तु राज्य के बाहर से क्रय कर लाए गए पशुओं के हिए आवास एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं स्थाई स्वरूप की न होने के कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कार्य में संलग्न व्यवसायी भी इन परिस्थतियों के चलते एक साथ बड़ी सँख्या में पशु लाने में असुविधा का अनुभव करते है। पशु क्रय हेतु हितग्राहियों एवं क्रय दल के अन्य सदस्यों को लेकर राज्य से बाहर जाने में भी विभिन्न प्रकार की अड़चनें आती है। अतः दुधारू पशु उत्प्रेरण कार्यक्रम को गतिशील एवं लोकप्रिय बनाने हेतु हितग्राहियों के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करने की मेहती आवश्यकता है। कुछ समय पूर्व शासन की ऐसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित की गई कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा इस समस्या के निदान हेतु राज्य के विभिन्न भागों में चयनित स्थानों पर स्थाई पशु हाट बाजारों की स्थापना की अनुसंशा की गई थी। इस हेतु कृषि उपज मण्डी परिसरों एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित पशुधन प्रक्षेत्रों पृथक्कृत (**Isolated**) भू–खण्डों पर स्थाई हाट बाजारों की स्थापना हेतु आवश्यक अधोसंरचनाओं के निर्माण का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान, जहाँ पहले से ही साप्ताहिक मासिक अथवा वार्षिक पशु हाट मेलों का आयोजन किया जा रहा है, उन स्थानों को भी इस दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की बात कही गई थी।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पशु हाट बाजारों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। इस हेतु चयनित स्थानों पर राज्य के बाहर से लाए गए पशुओं के आवास, खाद्य भण्डारण, जल आदि की व्यवस्था के साथ साथ पशुओं के विक्रय होने तक उनके द्वारा उत्पादित दूध के सुविधाजनक निस्तारण (Disposal) व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे हाट बाजारों से पशु क्रय हेतु आने वाले हितग्राहियों/कृषकों के आवास आदि के लिए भी अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि वे उचित समय तक वहां रहकर पशु चयन के आलावा उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं के प्रबंधन पालन पोषण आदि का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकें।

6.4. दीर्धकालीन योजना

राष्ट्रीय डेयरी योजना के अनुरूप राज्य का दुग्ध उत्पादन 15 वर्षो की अवधि में दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार वर्णित अल्पकालीन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के अतिरिक्त प्रदेश में उपलब्ध प्रजनन योग्य मादा गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं की क्षमता के अधिकाधिक दोहन की भी आवश्यकता है। इस हेतु बहु आयामी रणनीति पर आधारित कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

6.4.1 पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम

प्रदेश की पशु संगणना के आँकडों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि राज्य में प्रजनन योग्य मादा पशुओं की सँख्या में निरंतर धनात्मक वृद्धि हो रही है परन्तु उनकी प्रति पशु उत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है। अतः इसके दृष्टिगत प्रदेश में उपलब्ध प्रजनन योग्य मादा पशुओं के अनुवांशिक विकास हेतु सुनियोजित पशु प्रजनन नीति तैयार कर पशु नस्ल सुधार की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसकी विस्तृत जानकारी पृथक अध्याय में वर्णित है जिसके अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय कार्ययोजना के दौरान मुख्यतः निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान दिया गया हैं।

- कृषि जलवायु के आधार पर राज्य को सात प्रजनन परिक्षेत्रों (Breeding Zones) में विभाजित किया गया है।
- विभिन्न पशु नस्लों की कृषि जलवायु के प्रति अनुकूलता के दृष्टिगत प्रजनन परिक्षेत्र वार पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम तैयार किया गया है।
- नगरीय, उप नगरीय क्षेत्रों एवं दुग्ध मार्गों पर स्थित ग्रामों में संकर प्रजनन, प्रादेशिक पशु नस्लों यथा निमाडी, मालवी, एवं कैनकथा के संरक्षण हेतु उनके गृह जिलों में चयनित प्रजनन एवं अन्य क्षेत्रों में उच्च देशी नस्लों के द्वारा उन्नयन का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों को छोडकर संपूर्ण राज्य में स्थानीय भैंसों का मुर्रा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा।

6.4.2 पशु प्रबंधन एवं पालन पोषण में सुधार

वैज्ञानिक पद्वति से पशु प्रबंधन एवं उनके पालन पोषण में सुधार के उद्देश्य से इस कार्य में संलग्न पशुपालकों के कौशल उन्नयन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस हेतु पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सर्व सुविधा युक्त प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति दर है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में पशुपालकों के अलावा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि अनका कौशल उन्नयन किया जाकर प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों में उनकी सकारात्मक योगदान सुनिश्चित् किया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य में सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संलग्न शीर्षस्थ संस्था एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंद्ध क्षेत्रीय दुग्ध संघों के प्रशिक्षण केन्द्रों में पशुपालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

6.4.3 संतुलित पशु आहार एवं खनिज मिश्रण को प्रोत्साहन

पशुओं की दुग्ध उत्पादकता बढाने एवं बेहतर पशु स्वास्थ्य के दृष्टिगत संतुलित पशु आहार की उचित दरों पर सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहकारी क्षेत्र एवं लोक निजी भागीदारी योजनान्तर्गत पशु आहार निर्माण एवं विक्रय को प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही प्रदेश की मिनरल मैपिंग के अनुरूप खनिज मिश्रण के उत्पादन की भी व्यवस्था की जाएगी।

इसके अतिरिक्त बाय–पास प्रोटीन फीड निर्माण हेतु भी सहकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापना की जा रही है। इससे दुग्ध की उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी जिससे प्रदेश में व्यावसायिक पशुपालन हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सकेगा।

6.4.4 चरी–चारा विकास कार्यक्रमों में नवाचार

दुधारू पशुपालन को लाभप्रद गतिविधि के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से उत्पादन लागत में और कमी करने के उद्देश्य से चारा एवं चारागाह विकास के क्षेत्राच्छादन वृद्वि की जाएगी। अतिशेष चारा उत्पादन वाले मौसम में उत्पादित हरे चारे के संरक्षण हेतु **साइलेज एवं हे** निर्माण संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि हरी घास की अल्प उपलब्धता वाली अवधि में उसका उपयोग किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अपेक्षाकृत कम पोष्टिक पशु चारे को पोष्टिक एवं मूल्य संवर्धित बनाने की दृष्टि से भूसे का यूरिया उपचार एवं फसलोत्तर कृषि उत्पादों/अवशेषों का फॉडर ब्लॉक्स के रूप में उपयोग जैसे नवाचारों को पशुपालकों के बीच लोकप्रिय बनाने की दिशा मं कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। साथ ही एजोला घास उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों को भी बढावा दिया जाएगा।

6.5 दुग्ध संसाधन क्षमता का विस्तार

राज्य में दुग्ध उत्पादन वृद्वि के साथ–साथ उत्पादित दूध के संग्रहण, संसाधन एवं मूल्य संवर्धन एवं विपणन हेतु प्रभावी अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों की सुदृढ व्यवस्था भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की सफलता के दृष्टिगत इस हेतु प्रदेश में सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रमों को आगे बढाने एवं इसके आच्छादन में विस्तार की दिशा में कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में यह कार्य एम.पी. स्टेट. को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (**M.P.C.D.F**) के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, एवं जबलपुर दुग्ध संघ संचालित है। इनके अतिरिक्त कुछ जबकि दुग्ध संघों के गठन की योजना भी विचाराधीन है। एम.पी.सी.डी. एफ. से संबंधित मुख्य गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण विस्तार की वर्षवार कार्ययोजना का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्रमांक 29 'अ'
एम.पी.सी.डी.एफ. के अन्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित

12'वीं' पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम								
क्रमांक	विवरण	वर्ष						
		आधार वर्ष 2011–12	वृद्धि दर (प्रतिशत)	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	कार्यरत दुग्ध समितियों की सँख्या	4491	10	4940	5434	5977	6575	7232
2	कार्यरत दुग्ध समितियों की सदस्यता	198541	10	218395	240234	264258	290683	319752

3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की सँख्या	745	10	820	900	990	1090	1200
4	कृत्रिम गर्भाधान सँख्या	208069	10	228875	251760	276940	304630	335100
5	कृ.ग.से उत्पन्न वत्स सँख्या	47018	10	51720	56890	62580	68840	75720
6	संतुलित पशु आहार विक्रय (में. टन)	84984	10	93480	102830	113115	124425	136868
7	खनिज मिश्रण विक्रय (में.टन)	900	15	1035	1190	1369	1574	1810
8	दुग्ध संकलन (किलोग्राम प्रतिदिन)	657914	11	730280	810615	899780	998750	1108625
9	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	549641	5	577125	605980	636280	668100	701500
10	दुग्ध संसाधन क्षमता (लाख लीटर प्रतिदिन)	9.0	—	12	12	12	12	12

तालिका क्रमांक 29 'ब'

एम.पी.सी.डी.एफ. से संबद्ध दुग्ध संघों की कार्य योजना

वर्ष	बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम (वित्तीय प्रावधान)					
	कार्यरत दुग्ध समितियां		डेयरी संयंत्रों का क्षमता विस्तार		योग	
आधार वर्ष	भौतिक (सँख्या)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाख में)	भौतिक लक्ष्य (लाख लिटर प्रतिदिन)	वित्तीय (रू.लाख में)	भौतिक (सँख्या)	वित्तीय लक्ष्य (रू.लाख में)
2011—12	4491	1517	9.0	1125	—	2642
2012—13	4940	1635	12.0	1375	—	3010
2013—14	5434	1976	12.0	—	—	1976
2013—15	5977	2389	12.0	—	—	2389
2013—16	6575	2894	12.0	—	—	2894
2013—17	7232	3502	12.0	—	—	3502
योग	**7232**	**12396**	**12.0**	**1375**	**—**	**13771**

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था विभागीय बजट, केन्द्र तथा शासन की विभिन्न योजनाओं एवं दुग्ध संघों के स्वयं के वित्तीय संसाधनों से की जाएगी।

7-0 कुक्कुट विकास

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अनुशंसा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अण्डे की उपलब्धता 180 होना चाहिए जिसके विरूद्ध म.प्र. में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अण्डे की उपलब्धता मात्र 10 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत 50 है। अतः म.प्र. में पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि म.प्र. की जलवायु कुक्कुट पालन उद्योग के लिए उपयुक्त है एवं प्रदेश में कुक्कुट पालन उद्योग के विकास की प्रबल संभावनाएं है। कुक्कुट व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का 70 प्रतिशत व्यय कुक्कुट आहार में होता है जिसमें मक्का एवं सोयाबीन प्रमुख घटक है एवं उक्त फसल की उपज म.प्र. में पर्याप्त मात्रा में होती है।

पिछले तीन दशकों में कुक्कुट पालन में काफी वृद्धि हुई है। 70 प्रतिशत कुक्कुट उत्पाद का उपयोग शहरी या अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में होता है। मध्य प्रदेश में कुक्कुट पालन विशेषकर बैकयार्ड कुक्कुट पालन अन्तर्गत लो इनपुट टेक्नॉलॉजी के पक्षी पालकर ग्रामीण हितग्राही अपनी आर्थिक स्थिति तथा पोषण तत्वों में वृद्धि कर रहे हैं।

अण्डा एवं कुक्कुट मांस के उत्पादन वृद्धि से प्रदेश की प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ण होगी तथा इससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगें। प्रदेश में पशुपालन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग जैसे वन विभाग, कृषि विभाग आदि द्वारा कुक्कुट पालन की गतिविधि को आजीविका का साधन मानते हुए इसमें रूचि ली जा रही है तथा विभिन्न योजनाओं में कुक्कुट पालन को जोड़ा जा रहा है। कुक्कुट उद्योग के विकास के साथ–साथ इससे संबंधित अन्य उद्याोग जैसे कुक्कुट आहार, कुक्कुट औषधियॉ, उपकरण आदि को भी बढ़ावा मिलता है।

इस बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में अण्डा व कुक्कुट मांस के उत्पादन में वृद्धि एवं कुक्कुट व्यवसाय को लाभ का धन्धा बनाते हुये इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से कुक्कुट विकास की भावी कार्ययोजना तैयार की गई जिसके मुख्य घटक नीचे उल्लेखित है।

7-1 cd;kM+ ikYVh dk fodkl

बैकयार्ड पोल्ट्री में मदर यूनिट्स से एक उद्देशीय/द्विउद्देशीय लो इनपुट टेक्नोलाजी के पक्षी गरीबों को प्रदाय कर बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देकर प्रदेश में मांस व अण्डा उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।

मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के कारण यहां पर बैकयार्ड पोल्ट्री आदिवासियों द्वारा पारम्परिक तौर पर की जाती है तथा ग्रामीण इससे अपनी आजीविका के साथ साथ पोषण आहार भी प्राप्त करते हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की बैक्यार्ड कुक्कुट योजना, कडकनाथ प्रदाय योजना तथा भारत सरकार की ग्रामीण बैक्यार्ड कुक्कुट विकास योजना संचालित हो रही है।

7-1-1 dMdukFk iznk; ;kstuk

कुक्कुट विकास के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना में प्रदेश के 15 आदिवासी जिलों में कड़कनाथ प्रदाय योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की पोषण व आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा कड़कनाथ नस्ल का संरक्षण व संवर्धन करना है। योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बिना लिंगभेद के 15 दिवसीय 55 चूजे, खाद्यान, औषधि एवं परिवहन का प्रावधान हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक 5439 इकाईयों का वितरण किया गया था एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में चरणबद्ध तरीके से 8,827 इकाईयों का वितरण किया जाएगा। जानकारी तालिका कमांक तीस में दी गई है।

तालिका कमांक 30

dMdukFk iznk; ;kstuk

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2007–08	–	–		2012–13	1493	17.92
2008–09	1279	15.35		2013–14	1583	19
2009–10	1597	19.17		2014–15	1750	21
2010–11	1298	15.95		2015–16	1917	23
2011–12	1265	15.18		2016–17	2013	29
योग	**5439**	**65.65**		**योग**	**8827**	**105.9**

7.1.2 केन्द्र प्रवर्तित योजना – ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले समस्त वर्गो के हितग्राहियों के लिये 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010–11 से मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई हैं। योजनांतर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंगभेद के 4 सप्ताह के लो–इनपुट टेक्नालोजी वाले 45 चूजे तीन चरणों में प्रदाय किए जाएंगे ।

हितग्राहियों को चूजे मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाएंगे। एक मदर यूनिट कम से कम 300 परिवारों को चूजे प्रदान करेगा। मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों का रू. 30 प्रति चूजा का भुगतान किया जाएगा। योजना अंतर्गत शासकीय कुक्कुट

प्रक्षेत्रों को मदर यूनिट डिमान्स्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है जो मदर यूनिट के रूप में भी कार्य करेंगे । योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जाएगी जिससे 24,000 गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार प्रति वर्ष लाभान्वित किए जाऐगें एवं जिससे प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 432 लाख अण्डा उत्पादन तथा 1296 टन कुक्कुट मांस का उत्पादन होगा । विस्तृत जानकारी तालिका कमांक इकतीस में दर्शाई गई है।

तालिका कमांक 31

केन्द्र प्रवर्तित–योजना ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास के अंतर्गत आगामी पांच वर्षो में अण्डा एवं मांस उत्पादन की प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	हितग्राही	चूजा वितरण (रू.लाख में)	अण्डा उत्पादन (रू. लाख में)	मांस उत्पादन (टन में)	संभावित व्यय (रू.लाख में)
2012–13	24000	10.80	432	1296	612
2013–14	24000	10.80	432	1296	612
2014–15	25000	11.25	450	1350	638
2015–16	25000	11.25	450	1350	638
2016–17	25000	11.25	450	1350	638
योग	**1,23,000**	**55.35**	**2214**	**6642**	**3138**

7-2 futh dDdV ikyu i{k=k dh LFkkiuk

7-2-1 ikYVh opj dfiVy Q.M ;ktuk

कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा पोल्ट्री वेंचर केपिटल फण्ड योजना वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत अनुदान तथा अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 को 33.33 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। हितग्राहियों को ऋण बैंक के माध्यम से तथा अनुदान नाबार्ड के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। विभाग के द्वारा निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को योजना के लाभ लेते हुए कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही कुक्कुट पालकों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है। योजना अन्तर्गत कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण देकर प्रतिवर्ष 45 हजार पक्षियों की क्षमता वाले दो से तीन कुक्कुट प्रक्षेत्र प्रतिवर्ष स्थापित कराए जाएंगे जिससे प्रतिवर्ष 263 लाख अण्डों के उत्पादन में वृद्धि होगी। तालिका कमांक 32 में प्रस्तावित लक्ष्य दिए गए है।

rkfydk dekd 32

v.Mk mRiknu gr y;j i{k=k dh LFkkiuk

Dekd	dk;okgh	oreku LFkfr	iLrkfor					dy
			2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
1.	अण्डा उत्पादन प्रक्षेत्र की स्थापना (45हजार क्षमता)	60 (छोटे बडे मिलाकर)	2	3	3	3	3	14

इसी तरह कुक्कुट मांस का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनान्तर्गत ब्रायलर कुक्कुट प्रक्षेत्र खोलने हेतु निजी व्यवसाईयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7-2-2 in'k e ,d y;j rFkk ,d ck;yj ikYVh ,LVV dh LFkkiuk djuk

धार जिले के ग्राम जैतपुरा में पशुपालन विभाग के बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की 36 एकड़ भूमि पर पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना आर0के0व्ही0वाय0 योजनांतर्गत स्वीकृत की गई हैं। जिसके लिए रू. 313 लाख का प्रावधान किया गया है। अधोसरंचना विकास के अंतर्गत भूमि सुधार, भवन निर्माण, बिजली, पानी, तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु निर्माण कार्य किए जाना हैं। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवकों, महिलाओं, सीमांत किसानों तथा समाज के गरीब वर्ग के लोगों को पोल्ट्री व्यवसाय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना तथा कम लागत में कुक्कुट मांस उपलब्ध करवाना है। पोल्ट्री एस्टेट के माध्यम से एक ही स्थान पर तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, बॉयो–सेक्यूरिटी तथा अन्य सुविधाएं मुर्गी पालकों को उपलब्ध हो सकेंगी। योजनांतर्गत 50–100 हितग्राहियों द्वारा एक ही स्थान पर ब्रायलर फार्मिंग की जाएगी तथा प्रत्येक यूनिट 2000 ब्रायलर की होगी प्रति हितग्राही वर्ष में 6 लाट पालेगा जिससे उसे प्रति माह रू.16,500 का लाभ होगा। पोल्ट्री एस्टेट में प्रतिमाह 2 लाख पक्षी पाले जाएंगे जिससे प्रति वर्ष 1800 टन कुक्कुट उत्पाद उपलब्ध होगा। पोल्ट्री एस्टेट का संचालन व प्रबंधन किसी फेसिलिटेटर द्वारा किया जाएगा। योजना की सफलता के आधार पर इसी तरह आगामी पंचवर्षीय योजना में लेयर पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना की जाएगी। लेयर पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना में रू. 350.00 लाख का व्यय आएगा। धार में स्थापित ब्रायलर पोल्ट्री एस्टेट में स्थापित किये जाने वाली कुक्कुट इकाईयों को पोल्ट्री केपिटल वेंचर फण्ड से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

7-2-3 Leky gkYMj ikYVh v.Mk mRiknu bdkbZ

मध्य प्रदेश में कई जिलों में अण्डा उत्पादन बहुत कम है। वहां पर अण्डा अन्य जिलों से या आन्ध्रप्रदेश से आता है जो कि बहुत मंहगा मिलता है, इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार के साधन के साथ–साथ बच्चों को प्रोटीन युक्त अण्डा गांवों में उपलब्ध हो सकेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वरोजगार, महिला सशक्तीकरण, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण दूर करना एवं कुक्कुट खाद की उपलब्धता करना है। आगामी पंचवर्षीय योजना में यह नवीन योजना प्रारंभ की जाएगी।

चूंकि लेयर चूजे को पहले 20 हफ्ते पालना पडता हैं एवं इस अवधि में अलग–अलग आयु में विभिन्न प्रकार का दाना, दवाईयां, वेक्सीन एवं प्रबंधन करना होता है जो कि एक कठिन काम है अतः 0 दिन से 16 हफ्ते तक लेयर चूजों का उत्पादन किसी एन0जी0ओ0 के माध्यम से किया जाएगा जिनके द्वारा अलग–अलग चरण में जिलेवार 100–100 हितग्राही चयनित कर व प्रशिक्षण देकर 16 हफ्ते के ग्रोवर सप्लाई किए जाएंगे। जानकारी तालिका क्रमांक तैतीस एवं चौतीस में दी गई है।

rkfydk dzekad 33
enj ;fuV }kjk i{kh ink; rkfydk

fooj.k	2012&13	2013&14	2014&2015	2015&16	2016&17
fgrxkfg;ks dh l[;k	400	800	1200	1600	2000
xkoj i{kh ink;	57600	115200	172800	230400	288000
v.Mk mRiknu ¼yk[k e½	172	345	518	691	864

<u>नोट</u>— एक मदर यूनिट द्वारा एक साल में लगभग 57,600 लेयर (ग्रोवर पक्षी) का उत्पादन एवं वितरण किया जाएगा एवं यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रति वर्ष एक मदर यूनिट का निर्माण कर चूजों का पालन एवं वितरण किया जाएगा ।

rkfydk dzekad 34

;kstukUrxZr foRrh; izko/kku

fooj.k	laHkkfor 0;; ¼ jkf'k :- yk[k e½				
	2012&13	2013&14	2014&2015	2015&16	2016&17
fgrxkfg;ks dh l[;k	400	800	1200	1600	2000
enj ;fuV dh LFkkiuk ij 0;;	300	330	363	400	440
izfr fgrxkgh dqt gkml dh LFkkiuk ij 0;;	0.32	0.35	0.39	0.43	0.48
dqt gkml dh LFkkiuk ij dqy 0;;	128	280	468	688	960
izfr fgrxkgh dk;Z'khy iwath dh vko';drk	0.40	0.44	0.50	0.55	0.60
dk;Z'khy iwath dh dqy vko';drk	160	352	600	880	1200

उपरोक्त योजनाओं के साथ–साथ पशु चिकित्सा विभाग के अधिकरियों तथा बैकयार्ड के हितग्राहियों को प्रशिक्षण देकर पक्षियों की हानि को रोका जाएगा। बैकयार्ड के हितग्राहियों को मुक्त परिसर में पाली जाने वाली मुर्गियों हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कुक्कुट आहार घटक जैसे ज्वार, गेहूं, बाजरा तथा चावल की कणी आदि घटकों की महत्वता से हितग्राहयों को अवगत कराया जाएगा। जिससे कम लागत में अधिक से अधिक कुक्कुट मांस एवं अण्डा प्राप्त हो सके।

7.3 dMdukFk uLy dk laj{k.k ,oa lao/kZu

मध्य प्रदेश का गौरव कहलाने वाली कडकनाथ नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ के अलावा इसे पी0पी0पी0 मॉडल से संचालित किए जाने का प्रयास किया जाएगा साथ ही चयनित प्रजनन पर और अधिक जोर देकर इसके उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुक्कुट की कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन परियोजना ली गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 10–12 हजार चूजे प्रतिवर्ष उत्पन्न होंगे जिन्हें क्षेत्र के बेरोजगार युवकों प्रदाय किया जाएगा।

7-4 dqDdqV bdkbZ;ksa dh ekuhVfjax dk lqn<hdj.k djukA

भारत सरकार द्वारा विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु "पशुओं के संक्रामक एवं संसर्ग जन्य रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009" लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुक्कुट पालन उद्योग में बीमारियों की रोकथाम हेतु सख्त बायोसिक्यूरिटी नियम बनाए जाएंगे एवं मानिटरिंग की सुदृढ व्यवस्था की जाएगी।.

7-5 izns'k ds 9 dqDdqV ikyu iz{ks=ksa dk iq.kZ {kerk ds lkFk nksgu

भारत सरकार द्वारा लो इनपुट टेक्नालाजी के पक्षी के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उत्पादित चूजे ग्रामीण अंचल में प्रदाय करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ की गई है। विभाग द्वारा भारत शासन की मार्गदर्शिका के अनुरुप योजना प्रेषित कर प्रदेश के 10 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों हेतु रू.636.59 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त की गई है। प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण होने के फलस्वरूप प्रक्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि हुई है। सुदृढीकरण के फलस्वरूप कुक्कुट पालकों को विभिन्न शासकीय योजना अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त निम्नानुसार चूजे प्रदाय किए जा सकेंगे। प्रस्तावित लक्ष्य तालिका क्रमांक पैंतीस में दर्शाए गए है।

rkfydk dzekad 35

izns'k ds 9 dqDdqV ikyu iz{ks=ksa esa lEHkkfor pwtk mRiknu

o"kZ	pwtk mRiknu yk[k esa
2010&11	15
2011&12	7.90
2012&13	12.22
2013&14	15.60
2014&15	18.00
2015&16	20.50
2016&17	24.00

8-0 cdjh ,oa lqdj fodkl

बकरी पालन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बकरियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब व्यक्तियों द्वारा पाला जाता है तथा यह उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। म.प्र. में बकरी पालन पर भी विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सूकर पालन भी आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश में बकरी एवं सूकर पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्ययोजना तैयार की गई है।

8-1- cdjh fodkl

8-1-1 cdfj;ksa esa uLy lq/kkj dk;Zdze

8.1.1.1 अनुदान के आधार पर बकरा का प्रदाय योजना

योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना है। विभाग द्वारा अनुदान के आधार पर जमनापारी बकरा इसी उद्देश्य से प्रदाय किया जा रहा है ताकि दुग्ध व मांस

उत्पादन में खपत के आधार पर वृद्धि लाई जा सके योजना में हितग्राहियों को उन्नत नस्ल का एक जमनापारी बकरा अनुदान के आधार पर प्रदाय किया जाता है। प्रदाय बकरे के द्वारा स्थानीय अवर्णित नस्ल की बकरियों से क्रास कराकर अवर्णित नस्ल की बकरियों का नस्ल सुधार होता है। 11'वी'पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 32,439 बकरों का प्रदाय किया गया है। 12'वीं'पंचवर्षीय योजना में निम्नानुसार 29,185 जमनापारी बकरों का प्रदाय किया जाएगा। जानकारी तालिका क्रमांक 36 में दी गई है।

तालिका क्रमांक 36

अनुदान पर बकरों का प्रदाय योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू. लाख में)
2007–08	5998	195.06		2012–13	4885	195.4
2008–09	6794	217.47		2013–14	5275	211
2009–10	6292	201.52		2014–15	5775	231
2010–11	7209	236.13		2015–16	6325	253
2011–12	6146	196.74		2016–17	6925	277
योग	**32439**	**1046.92**		**योग**	**29185**	**1167.4**

8.1.1.2 वैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय योजना

देशी बकरियों में नस्ल सुधार एवं हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय किया जाता है। योजना के संचालन से बकरियों के मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 11'वी'पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 3206 इकाईयों का वितरण किया गया था। 12'वीं'पंचवर्षीय योजना में 4351 इकाईयों का वितरण किया जाएगा। जिसकी जानकारी तालिका क्रमांक 37 में दी गई है।

तालिका क्रमांक 37

अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू. लाख में)
2007–08	–	–		2012–13	727	92.46
2008–09	977	106.21		2013–14	789	100
2009–10	905	94.82		2014–15	867	110
2010–11	990	99.66		2015–16	945	120
2011–12	334	33.44		2016–17	1023	130
योग	**3206**	**334.13**		**योग**	**4351**	**552.46**

8.1.1.3 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज बकरी इकाई प्रदाय योजना

इस गतिविधि के अर्न्तगत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के गरीब एवं निर्धन ग्रामवासियों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु 10 ग्रेडेड जमुनापारी/सिरोही/बारबरी बकरी एवं एक शुद्ध नस्ल का बकरा प्रदाय किया जावेगा। योजना की कुल लागत 3 वर्षों हेतु 17.54 करोड़ रू. है जिसमें 5293 बकरी इकाईयों को प्रदाय किया जाएगा।

8.1.1.4 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनोरा टीकमगढ में जमनापारी बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना

इस गतिविधि में मिनोरा टीकमगढ़ में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना की जाएगी जिससे थानीय बकरियों में नस्ल सुधार हेतु पशुपालकों को प्रेरित किया जा सकेगा प्रारम्भ में 800 मादा एवं 80 नर पशु संधारित किए जाएंगे। 5 वर्ष के उपरान्त लगभग कुल 4880 बच्चे (kid) उत्पादित होगें, जन्हें विभागीय योजनाओं में वितरित किया जाएगा।

8.1.1.5 आर.के.वी.वाय योजनान्तर्गत Bhdjh ftyk cMokuh e cdjh i:tuu i{k= dh LFkkiuk

जमनापारी नस्ल की बकरी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जिला बडवानी में जमुनापारी नस्ल की बकरीयों का प्रक्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। प्रारम्भ में 500 मादा एवं 50 नर पशु संधारित किए जाएंगे। 5 वर्ष के उपरान्त लगभग कुल 3050 बच्चे (kid) उत्पादित होगें, जन्हें विभागीय योजनाओं में वितरित किया जाएगा।

8.1.2 आर.के.वी.वाय योजनान्तर्गत बकरी पालन योजना

भारत शासन द्वारा आर.के.वी.वायॅ. योजनान्तर्गत नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंट (National Mission for Protein Supplement) योजना लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत दो घटकों का समावेश किया गया है–

8.1.2.1. सघन बकरी उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत म.प्र.शासन पशुपालन विभाग द्वारा 64 गरीबी रेखा से नीचे/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों का चयन किया जाएगा इसके अन्तर्गत हितग्राहियों को 95 बकरी एवं 5 बकरे प्रदाय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हितग्राही को शेड, औषधि, पशुआहार, बीमा आदि के लिए भी राशि उपलब्ध कारायी जाएगी। एक इकाई की लागत रू.2.36 लाख है एवं इस पर शत् प्रतिशत अनुदान है। 64 इकाईयों में से चार इकाईयॉ धार जिले में, पॉंच इकाईयॉ खरगोन जिले में, 21 इकाईयॉ बैतूल जिले में तथा 34 इकाईयॉ जबलपुर जिले में प्रस्तावित हैं। विभाग द्वारा आगामी वर्षों में हितग्राहियों को टीकाद्रव्य, उपचार एवं अन्य सुविधाएँ नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से पशुपालकों को गुणवत्ता युक्त प्रोटीन प्राप्त होने के साथ–साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

8.1.2.2. पारंपरिक बकरी उत्पादन कार्यक्रम को बकरी पालकों के क्षमता विकास के माध्यम से बढ़ावा देना

इस योजना में 10 कि.मी. क्षेत्र के अन्तर्गत 2000 बकरियों का समूह **(क्लस्टर)** चिन्हित किया जाएगा एवं उनके बकरी पालकों को पंजीकृत कर उन्हें पशु चिकित्सा सुविधाँ उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही बेरोजगार ग्रामीण युवकों को पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित कर उन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा जो कि बकरियों के समूहों को चिन्हिाकिंत कर उनके बकरी पालकों को पंजीकृत कर पशुपालन विभाग के स्थानीय अधिकारियों से समन्वय कर बकरी पालकों को पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। समूह की बकरियों को कृमीनाशक औषधि, टीकाद्रव्य एवं का खनिज मिश्रण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में एक क्लस्टर की इकाई लागत रू.4.97 लाख है।

8.1.3. बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन

कुछ प्रदेशों में बकरियों का प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से किया जा रहा है एवं इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है। प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के बकरी पालन प्रक्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया जाएगा एवं इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने पर इसका विस्तार अन्य विभागीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा साथ ही विभागीय अमले को बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

8.2. सूकर पालन

8.2.1.अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय योजना

देशी/स्थानीय सूकरों की नस्ल मे सुधार लाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक वराह (नर सूकर) अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान है। योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। आगामी पंचवर्षीय योजना में 3782 नर वराह के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी तालिका क्रमांक 38 में दी गई है।

तालिका क्रमांक 38

अनुदान पर नर वराह (सूकर) का प्रदाय योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2007–08	2708	74.88		2012–13	522	12.02
2008–09	2537	52.52		2013–14	652	15
2009–10	1371	29.69		2014–15	782	18
2010–11	1287	27.87		2015–16	869	20
2011–12	1202	25.33		2016–17	957	22
योग	**9104**	**210.29**		**योग**	**3782**	**87.02**

8.2.3. अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय

सूकरों के व्यापारिक पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य यह योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर वराह (सूकर) एवं दो मादा वराह (सूकर) अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान है। आगामी पंचवर्षीय योजना में 1421 वराह त्रयी (सूकर त्रयी) के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी तालिका क्रमांक 39 में दी गयी है।

तालिका क्रमांक 39

अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उपलब्धि				बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित लक्ष्य		
वर्ष	उपलब्धि	व्यय (रू.लाख में)		वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)
2007–08	99	6.92		2012–13	221	13.26
2008–09	205	11.79		2013–14	250	15
2009–10	210	12.21		2014–15	283	17
2010–11	91	5.14		2015–16	317	19
2011–12	154	14.83		2016–17	350	21
योग	**859**	**50.89**		**योग**	**1421**	**85.26**

9.0 पशु आहार एवं चारा विकास

प्रदेश में हरे चारे की वास्तविक आवश्यकता 2000 लाख मैट्रिक टन के विरूद्ध उत्पादन मात्र 550 लाख मैट्रिक टन है जबकि सूखे चारे की आवश्यकता 650 लाख मैट्रिक टन के विरूद्ध उपलब्धता 700 लाख मैट्रिक टन है। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में सूखा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जबकि हरे चारे की अत्याधिक कमी है। आगामी पंचवर्षीय योजना में हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्ययोजना तैयार की गई है।

9.1 चारा एवं चारागाह विकास योजना

योजना में वर्ष 2007 से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदायित राशि से 100 प्रतिशत अनुदान पर विभाग के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में, गौशालाओं एवं वन विभाग की वन भूमि पर चारा एवं चारागाह विकास का कार्य किया जा रहा है।

आगामी वर्ष 2012 से 2017 तक विभाग के तीन प्रक्षेत्र–1.मिनोरा टीकमगढ, 2.शिवपुरी 3.बासांखेडी मंदसौर में प्रति 10 हैक्टेयर की 10 इकाईयों में चारागाह विकास का कार्य लिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 100 हेक्टेयर में प्रतिवर्ष 0.065 लाख टन चारा उत्पादन के मान से 5 वर्षों में कुल 0.325 लाख टन चारा उत्पादन होगा। प्रतिवर्ष चारा उत्पादन की जानकारी तालिका क्रमांक चालीस में दी गई है।

तालिका कमांक 40
चारा एवं चारागाह विकास योजना

विवरण	वर्ष						
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	रिमार्क
क्षेत्रफल हेक्टे.	100					100	5 वर्षो तक 100 हेक्टे
चारा उत्पादन, लाख टन में	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	0.325	
वित्तीय प्रावधान रु. लाख में	32.5	32.5	–	–	–	65.00	केन्द्र प्रवर्तित योजना

9.2 चारा बीज उत्पादन एवं वितरण योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन का अनुदान के आधार पर कियान्वित की जा रही है। इस योजना का कियान्वयन पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों का चयन कर उन्हें ब्रीडर चारा बीज का वितरण कर, चारा एवं बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करना है।

आगामी वर्ष 2012–17 में 1000 हेक्टेयर/वर्ष के मान से 0.40 लाख टन प्रतिवर्ष का चारा उत्पादन का लक्ष्य है, 5 वर्षों में कुल 2.00 लाख टन चारा उत्पादन के साथ चारा बीज उत्पादन स्थानीय कृषकों को उपलब्ध हो सकेगा। प्रतिवर्ष चारा उत्पादन की जानकारी तालिका कमांक इकतालीस में दी गई है।

तालिका कमांक 41
चारा बीज उत्पादन एवं वितरण योजना

विवरण	वर्ष						
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	रिमार्क
क्षेत्रफल हेक्टे.	1000	1000	1000	1000	1000	5000	5 वर्षो तक 1000 हेक्टे प्रति वर्ष के मान से
चारा उत्पादन, लाख टन में	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.0	चारा उत्पादन एवं बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन,
वित्तीय प्रवधान रु लाख में	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	200.00	केन्द्र प्रवर्तित योजना, राज्यांश 10 लाख/वर्ष

9.3 आर.के.व्ही.वाई.योजनान्तर्गत चारा विकास कार्यकम

9.3.1 वन भूमि की डी–ग्रेडेड भूमि पर चारागाह विकास कार्यकम

वन भूमि में भारी, अम्लीय एवं सैलाईन मिट्टी पर चारागाह विकास कार्यकम द्वारा चारा उत्पादन में वद्धि के साथ भूमि क्षरण रोकने हेतु कार्यकम लिया गया है। योजना में 2010–11, 2011–12 हेतु 10 हेक्टेयर भूमि प्रति इकाई के मान से 40 इकाई पर भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था, बुआई, जुताई एवं कीटनाशक खाद तथा चारा बीज का कय किया जाकर चारागाह विकास का कार्य मुरैना, शिवपुरी, खरगौन(बड़वाह), धार, एवं इंदौर जिलों के वन मण्डल क्षेत्र के कुल 400 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कार्य किया जा रहा है।

आगामी पंचवर्षीय योजना 2012–17 में वन क्षेत्र की स्थानीय घास के स्थान पर बहुवर्षीय चारा जैसे अन्जन घास को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि म0प्र0 की जलवायु गरम एवं शुष्क मिट्टी के अनुकूल हैं एवं पौष्टिक चारा है। अन्जन घास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

25–40 टन है। वर्ष 2012–17 में कुल 85000 हैक्टेयर वन भूमि पर 21.85 लाख टन चारा उत्पादन में वृद्वि होगी। प्रतिवर्ष चारा उत्पादन की जानकारी तालिका क्रमांक बियालीस में दी गई है।

तालिका क्रमांक 42
आर.के.व्ही.वाई. योजनान्तर्गत चारा विकास कार्यक्रम

विवरण	वर्ष						
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	रिमार्क
क्षेत्रफल हेक्टे.	10000	10000	20000	20000	25000	85000	बहुवर्षीय अन्जन चारा उत्पादन हेतु बीज/रुट स्लिप प्रदाय
चारा उत्पादन, लाख टन में	2.5	2.5	5.0	5.0	6.25	21.25	चारा उत्पादन एवं बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन,
वित्तीय प्रवधान रु लाख में	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	200.00	आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत प्रस्तावित

9.3.2 एक्सीलरेटेड फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एएफडीपी योजना)

मध्यप्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 2011–12 में एएफडीपी योजना में चारा उत्पादन योजना स्वीकृत की गई है, चारा उत्पादन हेतु रबी 2011–12 एवं खरीफ 2012–13 में, प्रत्येक जिलों द्वारा क्लस्टर का निर्माण कर चारा उत्पादन इच्छुक कृषक/फार्मर एसोसिऐशन/फेडरेशन/कोपरेटिव के माध्यम से डेयरी केचमेन्ट एरिया में किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में 1235 एकड में चारा उत्पादन कार्य किया जाना है, जिसमें प्रति आधा एकड की इकाई में चारा बीज किट प्रदाय की जावेगी। योजनान्तर्गत कुल 145 क्लस्टर में चारा उत्पादन प्रस्तावित है, रबी सीजन में बरसीम एवं खरीफ सीजन हेतु ड्यूल परपज क्रोप जैसे हाइब्रीड मक्का/ज्वार/बाजरा लिया जाएगा। इसी योजना का दूसरा घटक "पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु तकनीकी की स्वीकार्यता" है जिसके अन्तर्गत कृषक/फार्मर एसौसिएशन/फेडरेशन/कोआपरेटिव/आत्मा के डेयरी ग्रुप के सदस्यों को कम लागत के तकनीकी औजार/उपकरण जैसे– हस्तचलित चेफ कटर/फोडर ब्लॉक मेकिंग मशीन यूनिट/सायलेज मेकिंग यूनिट (मय पावर चेफ कटर) की स्थापना/उन्नत हशिया/ग्रास कटर/ग्रास स्लेशर/उपलब्ध कराया जाना है। यह गतिविधि शत प्रतिशत अनुदान पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी आधार पर आर.के.व्ही.वाई योजनान्तर्गत वर्ष 2013–17 में 1,21,000 हैक्टेयर भूमि पर चारा बीज वितरण लिया जाएगा, जिसमें 48.40 लाख टन चारा पशुपालकों को प्राप्त हो सकेगा। प्रतिवर्ष चारा उत्पादन की जानकारी तालिका क्रमांक तेतालिस में दी गई है।

तालिका क्रमांक 43
एक्सीलरेटेड फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एएफडीपी योजना)

विवरण	वर्ष						
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	रिमार्क
क्षेत्रफल हेक्टे.	41000	20000	20000	20000	20000	121000	आर के वी वाई–ए.एफ. डी.पी./चारा बीज वितरण 40 क्लस्टर/वर्ष

चारा उत्पादन, लाख टन में	16.40	8.00	8.00	8.00	8.00	48.40	चारा उत्पादन एवं बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन,
वित्तीय प्रवधान रु लाख में	राशि उपलब्ध	800.00	800.00	800.00	800.00	3200.00	ए.एफ.डी.पी./चारा बीज प्रस्तावित योजना

9.3.3 प्रक्षेत्रो मे बहुवर्षीय चारा उत्पादन एवं कृषकों को रुट स्लिप वितरण

प्रदेश में बहुवर्षीय चारा जैसे हाईब्रिड नेपियर से चारा उत्पादन नाम मात्र का है एवं पशुपालकों को दूसरे उत्पादन एवं पौष्टिकता की जानकारी भी नहीं है। इस हेतु आगामी पंचवर्षीय योजना 2012–17 हेतु आर.के.व्ही.वाय. योजना अंतर्गत हाईब्रिड नेपियर से चारा उत्पादन वृद्धि प्रथमतः विभाग के प्रक्षेत्रों में प्रस्तावित है। इस योजना में प्रक्षेत्रों में वर्ष 2012–17 के मध्य 100–140 हेक्टेयर में हाईब्रिड नेपीयर से चारा उत्पादन कर एवं रूट स्लिप का विकास कर कृषकों को निःशुल्क रूट स्लिप का प्रदाय वर्ष 2013 से 2017 के मध्य किया जाएगा। प्रतिवर्ष चारा उत्पादन की जानकारी तालिका क्रमांक चवालीस में दी गई है।

तालिका क्रमांक 44
प्रक्षेत्रो मे बहुवर्षीय चारा उत्पादन एवं कृषकों को रुट स्लिप वितरण

	विवरण	वर्ष						
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	रिमार्क
प्रक्षेत्र में बहुवर्षीय चारा उत्पादन	क्षेत्रफल हेक्टे.	100	–	120	–	–	220	विभागीय प्रक्षेत्रों की कुल 220 हेक्टेयर भूमि पर
	चारा उत्पादन, लाख टन में	2.50	2.50	3.00	3.00	3.50	14.50	,
	वित्तीय प्रवधान रु लाख में	50.00	–	60.00	–	–	110.00	आर.के.व्ही.वाय. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना
कृषकों द्वारा बहुवर्षीय चारा उत्पादन	क्षेत्रफल हेक्टे.	–	2000	4000	8000	16000	30000	कृषकों को प्रक्षेत्र से निशुल्क रूट स्लिप प्रदाय कर चारा उत्पादन हेतु प्रोत्साहन
	चारा उत्पादन, लाख टन में	–	5.00	10.00	20.00	40.00	75.00	
	वित्तीय प्रवधान रु लाख में	–	–	–	–	–	–	

9.4 मिनिकिट्स वितरण योजना–

योजना में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ सीजन में पशु पालकों को मिनिकिटस पशुपालन विभाग एवं मिल्क फेडरेशन के माध्यम से 1/10 हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन करने हेतु अनुमानित 60000 किट प्रदाय किए जाते हैं। आगामी वर्ष 2012–17 में योजनान्तर्गत 6000 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष चारा उत्पादन के आधार पर 5 वर्षो में कुल 19.5

लाख टन चारा उत्पादन लक्षित है। प्रतिवर्ष चारा उत्पादन की जानकारी तालिका क्रमांक पैतालीस में दी गई है।

तालिका क्रमांक 45
मिनिकिटस वितरण योजना

विवरण	वर्ष						
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	योग	रिमार्क
क्षेत्रफल हेक्टे. (लाख में)	6000	6000	6000	6000	6000	1.21	
चारा उत्पादन, लाख टन में	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	19.50	चारा उत्पादन एवं बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन,
वित्तीय प्रवधान रु. लाख में	–	–	–	–	–	–	भारत सरकार द्वारा मिनी किट्स विभाग को उपलब्ध कराए जाते है।

9.5 वन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा ऊर्जा वन एवं चारागाह योजना अंतर्गत चारागाह विकास का कार्य किया जाता है। इस योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में मध्यप्रदेश वन के 16 सर्किल के डिविजनों में 4,820 हेक्टेयर में क्रियान्वित की जा रही है। इसी तरह कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन मद के अंतर्गत ऊर्जा वन एवं चारागाह क्षेत्र में 14 सर्किल के डिविजनों के कुल 3570 हेक्टेयर में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे प्रतिवर्ष 1.25 लाख टन चारा उत्पादन की संम्भावना है ।

9-6- pjukbZ Hkwfe dk ;fDr;Dr <x l mi;kx

म0प्र0 का कुल क्षेत्रफल 304.29 लाख हेक्टेयर है जिसमें से अनुमानित स्थायी चारागाह (चरनोई भूमि) 5.17 लाख हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि सामान्यतः शुष्क भूमि मृदा होने से चारा उत्पन्न नहीं हो पाता है, केवल वर्षा ऋतु में ही चारा पशु हेतु उपलब्ध हो पाता है इस चारा की पौष्टिक गुणवत्ता भी कम होती है। स्थायी चारागाह में आर.के. व्ही. वाई. योजनान्तर्गत वर्ष 2012–17 में एक लाख हेक्टेयर में स्टाइलो ग्रास द्वारा चारा क्षेत्र में वद्वि हेतु कार्य लिया जाना प्रस्तावित है। स्टाइलों ग्रास की पौष्टिक गुणवत्ता पशुओं में उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि के साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्वि में भी सहायक है एवं यह शुष्क मृदा में उपयोगी कारक सिद्व होती है। इस योजना के क्रियांवयन हेतु राजस्व विभाग का सहयोग आपेक्षित है।

9.7 वन विभाग समन्वयन कर वन उत्पादों की प्राप्ति एवं उपयोग

वन विभाग के पास उपलब्ध भूमि में से प्रतिवर्ष लगभग 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल चराई हेतु प्रतिबंधित रहता है तथा शेष चराई के लिए खुला रहता है। चराई बन्द क्षेत्र से प्रतिवर्ष 10–15 लाख मैट्रिक टन सूखा चारा उत्पादन की संम्भावना रहती है। वन क्षेत्र में 3.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल चारागाह विकास कार्य वृत्त के अन्तर्गत प्रबंधित होता है व इस कार्य वृत्त उद्देश्य वन क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता का चारा उत्पादन कर स्थानीय समुदाय के पशुओं को उपलब्ध कराते हुए आजीविका को सुदृढ करना है। कार्य वृत्त में घास के बीज रोपित करने एवं चारा प्रजाति के वृक्षों के रोपण की गतिविधियां स्थानीय समुदाय/ग्राम वन विकास समिति के सहयोग से संचालित की जाएगी, बिगड़े वन क्षेत्रों में चारागाह विकास कार्यक्रम सम्पादित किए जाएंगे।

वन भूमि पर पौष्टिक चारा उत्पादन एवं उसके संरक्षण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम वन विकास समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वन भूमि में वर्तमान में बहुवर्षीय चारे का उत्पादन नहीं होता है, स्थानीय चारे के स्थान पर अंजन घास के बीज रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा, इससे पौष्टिक चारे के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी एवं ग्राम वन विकास समितियां अंजन चारा बीज का विक्रय कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेगी। अंजन ग्रास 3–4 वर्षो तक आसानी से उत्पादन दे सकती है, एवं यह घास म0प्र0 के शुष्क एवं गरम जलवायु में भी प्रति हेक्टेयर 25–40 टन प्रतिवर्ष उत्पादन प्रदान करती है।

9.8 पडत भूमि का चारा उत्पादन अथवा चरनोई भूमि के रूप में विकासः– म0प्र0में लगभग 13 लाख हेक्टेयर पडत भूमि है, जिसमें ग्राम पंचायत, स्थानीय कृषक, जिला प्रशासन, एवं राजस्व विभाग के सहयोग से चारागाह विकास कार्य लिया जा सकता है। इस हेतु जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग सहयोगी भूमिका प्रदान कर चारे उत्पादन में वृद्वि सुनिश्चित् कर सकेगें।

9.9 प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापनाः– विभाग के तीन शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतोना–सागर, पवई–पन्ना, मिनौरा–टीकमगढ़ में चारा बैंक स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। चारा बैंक स्थापना उपरान्त स्थानीय पशुपालकों को विपरीत परिस्थितियों में चारा बैंकों से सूखा चारा उपलब्ध कराया जाएगा। चारा बैंक में सूखे चारे का भण्डारण का कार्य प्रक्षेत्र द्वारा किया जावेगा, एवं सूखे चारे को पशुपालकों को न लाभ न हानि की दर से विक्रय किया जाएगा। इसी प्रकार विभाग के 7 अन्य शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में भी चारा बैंक की स्थापना का कार्य आगामी 2–3 वर्षो में लिया जाएगा। प्रक्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश के 40 जिलों में भी चारा बैंक की भी स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

9.10 **फसलों के अवशेषों का दक्षतापूर्वक उपयोग किए जाने हेतु प्रोत्साहन :–** कृषि विभाग के सहयोग से फसलों के अवशेषों का दक्षता पूर्वक उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में पारंपरिक खेती में फसलों के अवशेषों को जला दिया जाता है। राजस्व विभाग के सहयोग से फसलों के अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग से फसल अवशेषों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा । फसलों की मशीनों से कटाई होने के फलस्वरूप डंठल अनुपयोगी न रह कर पशुओं के चारे के रूप में उपयोग हो सकें, इस हेतु स्टैम रिमुवर का उपयोग कर इन्हे पशु चारे हेतु एकत्र करने एवं इन डंठलों को जलाए जाने की प्रथा को रोकने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जाएगा।

9.11 मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा संतुलित पशु आहार के लिए वर्तमान में पचामा (सीहोर) एवं मांगलिया (इन्दौर) में स्थापित क्रमशः150 एवं 100 मी.टन क्षमता के पशु आहार संयंत्र पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे है। इनके द्वारा उत्पादित पशु आहार का विक्रय दुग्ध समितियों के माध्यम से पशु पालकों को किया जाता है। पशु आहार की बढ़ती मांग के दृष्टिगत बंडोल (सिवनी) में 50 मी.टन क्षमता के पशु आहार संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह फाडर ब्लॉक, फीड ब्लॉक, यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉकबनाने की इकाई की स्थापना कर पशुआहार का विक्रय दुग्ध समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

9.12 मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा पशुओं की दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने एवं बेहतर पशु स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रदेश की mineral mapping के अनुसार आवश्यक खनिज मिश्रण के उत्पादन हेतु पचामा पशु आहार संयंत्र परिसर में 12 मे.टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के खनिज मिश्रण प्लांट की स्थापना की गई। खनिज मिश्रण को दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से पशु पालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढाते हुए खनिज मिश्रण का विपणन निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जाएगा।

9.13 बुल मदर फार्म भदभदा भोपाल एवं प्रदेश के सात अन्य पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में गैर पारंपरिक तरीके से पशु आहार की पोषक क्षमता बढाए जाने हेतु भूसे का यूरिया उपचार, एजोला का उत्पादन, हरे चारे का हे (सूखा चारा) बनाना, हरे चारे की साइलेज बनाकर चारे का संरक्षण आदि के प्रदर्शन हेतु इकाईयों की स्थापना की जाएगी तथा इन विधियों का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन पशुपालकों को कर उन्हें गैर पारंपरिक तरीके से चारा संरक्षण एवं उसकी पोषकता में वृद्वि हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्षा ऋतु में अतिरिक्त चारे के उपयोग हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में फाडर ब्लॉक बनाने की इकाई स्थापित की जाएगी। जिसमें प्रति प्रक्षेत्र रूपये 50.00 लाख के मान से कुल 350.00 लाख रूपये का व्यय आएगा।

9.14 पशुपालकों को स्टॉल फीडिंग प्रथा (पशुओं को बांधकर खिलाना) के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टॉल फीडिंग के अन्तर्गत पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकता एवं उत्पादकता के अनुरूप पशु आहार/चारा आदि उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही उनका प्रजनन, प्रबंधन आदि भी नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है। जिससे पशुओं से कम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा।

10-0 foi.ku

dfष की तरह भारतीय पशुधन प्रणाली में भी लघु एवं सीमांत कृषकों की भागीदारी अत्याधिक हैं अर्थात इस क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त सँख्या में बड़े उद्यमी नहीं हैं जो उपलब्ध पशुधन अथवा पशुधन से सबद्ध उत्पादों को पूर्णरूपेण संगठित विपणन प्रणाली में ला सकें। दूसरी ओर पहुँच के अभाव में पशुपालक शहरी बाजारों व अतंराष्ट्रीय बाजारों की मांग के अनुरूप पशुधन उत्पादन प्रणाली में अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं व न ही इस प्रकार की सेवाएँ उन्हें शासकीय अथवा निजी क्षेत्र से प्राप्त हो पाती हैं। पशुधन एवं पशुधन उत्पाद को संगठित विपणन में लाने हेतु समुचित प्रयास नहीं किए गए हैं। किसी भी उत्पाद को संगठित विपणन में लाने के लिए आवश्यक हैं कि उत्पादक संगठित हों। यद्यपि विभिन्न विभागीय योजनाओं के अतंर्गत स्व–सहायता समूह, दुग्ध सहकारी समिति आदि के माध्यम से उत्पादकों को संगठित करने के प्रयास किए गए हैं किन्तु सामुदायिक सहभागिता एवं निजी उद्यमियों के हस्तक्षेप के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। पशु पालकों को एक सुदृढ विपणन व्यवस्था प्रदान करने हेतु कार्य योजना इस प्रकार है।

10.1 पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुक्कुट पालन एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं जिनका मुख्य उदृदेश्य नस्ल का संरक्षण, संवर्धन कर चूजे एवं सांड प्रदेश के ष्शु पालकों को विभागीय योजनाओं में उपलब्ध करवाना है । कुक्कुट एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रक्षेत्रों के संचालन में जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) का उपयोग करने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। जिनसे चूजों व सांड के उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश के अधिक से अधिक पशु पालकों को लाभांवित किया जा सके।

10-2 प्रदेश के पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन व कुक्कुट पालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। प्रदेश में लगभग 90 लाख बकरियां एवं 73 लाख कुक्कुट है जो कि अधिकांशतः गरीब व अतिगरीब परिवारों द्वारा पाले जाते है जो उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख स्त्रोत होते है। चूंकि यह पूरा उपक्रम असंगठित है एवं इन उत्पादो का कोई संगठित बाजार नहीं होने से इस पशुधन को बिचौलीयों द्वारा क्रय किया जाता है। जिससे पशुपालको को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। पशुपालकों को उनके उत्पादों के बेहतर मूल्य हेतु उन्हें विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एवं इस उपक्रम को संगठित करने के लिए गरीब अतिगरीब पशुपालकों द्वारा संचालित इन गतिविधियों सहकारिता से जोड़ा जाएगा। जिससे इन पशु उत्पादों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुड़ाव विकसित किए जा सके। इसमें बकरी पालक /कुक्कुट पालक के क्लस्टरों को चिन्हित किया जाएगा एवं इनमें एस.जी.एस.वाय. आदि समूह मूलक योजनाओं के माध्यम से गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा एवं इन्हें एक को–ऑपरेटिव सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे इन पशुपालकों को बाजार के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त हो सके।

10-3 कृषि उत्पादों के भाँती पशु उत्पादो का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के विषय में विश्लेषण किया जाकर एवं इसके समस्त वैधानिक एवं व्यवहारिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

10-4 दुग्ध संकलन मार्गों में विस्तार किया जाएगा एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तथा स्थापित संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण दोहन कर दूध की उपलब्धता के आधार पर दुग्ध संकलन किया जाएगा।

10-5 कुक्कुट पालन उद्योग हेतु पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप के मॉडल को अपनाकर विपणन को सुदृढ़ किया जाएगा।

10-6 शासन की विभिन्न योजनाओं को क्लस्टर में संचालित किया जाएगा ताकि हितग्राहियों को विपणन की सुविधा उपलब्ध हो सकें। संविदा कृषि की भांति पशुपालन के क्षेत्र में भी

संविदा पर विपणन व्यवस्था कराए जाने हेतु जन निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के लिए प्रयास किए जाएगें।

10-7 पशुधन एवं पशुधन उत्पाद पर मूल्य वृद्धि की संभावनाएं प्रदेश में ही तलाश कर उनका समूचित दोहन किया जाएगा ताकि मूल्य श्रंखला में छोटे उत्पादक ऊपर आ सकें। इस हेतु प्रदेश के बाहर की माकेर्टिंग संस्थाओं को भी जन निजी भागीदारी माडल के रूप में जोड़ा जाएगा।

10-8 बकरी के मांस के साथ–साथ बकरी के दूध व दुग्ध पदार्थ के विपण़न हेतु भी जन निजी भागीदारी माडल विकसित किऐ जाएंगे।

10-9 पशु हाट एवं पशु मडियों को व्यवसायिक रूप देकर वहॉ समस्त अधोसंरचना उपलब्ध करायी जाएगी। जिसमें उत्पादकों का मूल्य निर्धारण किया जाकर सुसंगठित रूप से लाभ का बंटवारा किया जाएगा।

10-10 मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा पूर्व की परंपरागत विपणन व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए वितरक एवं रिटेल विक्रेताओं के माध्यम से विपणन क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जाएगा। जिसके तहत नवीन क्षेत्रों में भी विपणन व्यवस्था करने की कार्यवाही जारी रखी जाएगी।

10-11 दुग्ध सहकारी समितियों से संकलित दूध का नगरीय क्षेत्रों में विक्रय पश्चात अतिशेष दूध का विक्रय राज्य दुग्ध प्रकोष्ठ (State Milk Grid) के तहत अन्य क्षेत्रीय दुग्ध संघों को एवं राष्ट्रीय दुग्ध प्रकोष्ठ (National Milk Grid) के तहत अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दिल्ली आदि को किया जा रहा है। भविष्य में भी यही प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

10-12 मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध एवं उत्पादों का विक्रय वितरकों के माध्यम से ही किया जा रहा है जो निजी व्यवसायी हैं। अन्य क्षेत्रों यथा नये डेयरी संयंत्रों तथा पशु आहार संयंत्रों की स्थापना में भी लोक–निजी भागीदारी योजना को प्रोत्साहित किया जाएगा

10.13. **डेयरी एस्टेट :–**डेयरी व्यवसाय असंगठित क्षेत्र में फैला हुआ है। औद्योगिक एस्टेट की तर्ज पर डेयरी व्यवसाय को संगठित क्षेत्र में लाने के प्रयास में शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में डेयरी एस्टेट की स्थापना की जानी है।

उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी व्यवसायियों को एक ही स्थान पर संगठित कर समस्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना है, जिससे एक ही स्थान पर समस्त सुविधायें उपलब्ध

होने से लागत में कमी आयेगी। प्रदेश में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जबलपुर जिले का चयन किया गया है, जहॉ पर शहर के बाहरी क्षेत्र में कलेक्टर जबलपुर द्वारा 67.65 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिस पर पशुपालन विभाग द्वारा डेयरी एस्टेट की स्थापना हेतु विकास कार्य कराया जाएगा। पशुपालक को जो डेयरी व्यवसाय करना चाहेगें उन्हें शासन द्वारा निर्धारित लीज पर प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा एवं लीज से प्राप्त राजस्व राशि शासन के राजस्व खाते में जमा की जाएगी। दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन के साथ–साथ पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें उपलब्ध कराई जा एंगी। डेयरी एस्टेट का संचालन दुग्ध व्यवसायियों द्वारा सहकारी समिति बनाकर किया जा एगा ।

11-0 foLrkj rFkk {kerk fodkl

मानव संसाधन की कमी, कमजोर सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं असंगठित प्रणाली के चलते पशुपालन के क्षेत्र में जहां एक और संपूर्ण संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं किया जा सका है वहीं दूसरी ओर उपलब्ध साधन–संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया गया। अन्य विभागों की तरह इस विभाग में उन्मुखिकरण अथवा क्षमता विकास के कार्यक्रम लिए जाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित हुई है। विकास के बदलते आयाम से पशु विकित्सा विस्तार में संलग्न विभागीय अमले का उन्मुखिकरण अथवा क्षमता विकास किया जाना आवश्यक है अन्यथा इस अमले का दायित्व विस्तार कार्यों में सीमित रह जाएगा। विस्तार एवं क्षमता विकास हेतु विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की गयी है जो कि इस प्रकार है।

11-1 ekuo lalk/ku fodkl:–विभाग के मानव संसाधन में गुणवत्ता की वृद्धि एवं जबाबदेही लाने के उद्देश्य से विभाग में नवीन विभागीय संरचना लागू की गई है। इसके लागू होने से विभागीय अमले को प्रगति के अवसर उपलब्ध होगें। इस संरचना में पदोन्नति के अतिरिक्त निर्धारित सेवाकाल पूर्ण होने पर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के पदनाम परिवर्तन किए गए है जिसके अन्तर्गत आठ वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों का पदनाम पशु चिकित्सा शल्यज्ञ हो जाएगा तथा सोलह वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने के पश्चात् पदनाम वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज्ञ हो जाएगा।

11-1 -1 i'kq fpfdRlk lgk;d 'kY;Kksa dk {kerk fodkl

विभाग अन्तर्गत वर्तमान में 1021 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पदस्थ है। इन्हे अलग–अलग प्रकार के कार्य जैसे तकनीकी, विस्तार, प्रशिक्षण, प्रबंधन आदि करना होते हैं। इन अधिकारियों को इनके कार्यो के अनुरूप विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को तीन वर्ष में विभिन्न पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में (प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम) का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे अधिकारियों को आधुनिक तकनीक की जानकारी हो सकेगी।

11-1-2 ofj"B vf/kdkfj;ksa dk izcU/ku lacaf/kr izf'k{k.k

नवीन विभागीय संरचना अनुसार वर्तमान में 200 पद उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ , एवं 21 पद संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ के पद स्वीकृत है। इन्हें संभाग, जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रबंधन एवं समीक्षा संबंधित कार्य देखना होते हैं इन अधिकारियों को प्रतिवर्ष प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन संस्थानों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद (NIRD), भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (IRMA) आनन्द आदि संस्थानों में दिया जाएगा।

11-1-3 lgk;d i'kq fpfdRlk {ks= vf/kdkjh@izjkoV dk izf'k{k.k

विभाग में वर्तमान में 4002 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पदस्थ हैं। जो कि पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। इस संवर्ग को प्रत्येक 6 वर्ष में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान/विभागीय कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान में रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11-2 foHkkxh; izf'k{k.k dsUnzksa dk lqn<+hdj.k

वर्तमान में विभाग अन्तर्गत दो कृत्रिम गर्भाधन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल एवं मण्डला में, एक सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी तथा पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान रीवा में संचालित है। आगामी पंचवर्षीय योजना में इन प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर गौसेवकों एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। आर.के.वी.वॉय.योजनान्तर्गत भोपाल में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। जहॉ विभागीय अधिकारियो के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।

11-3 fofHkUu izf'k{k.k dk;Zdzeksa dk vk;kstu

11-3-1 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के माध्यम से पशु चिकित्सकों की व्यवसायिक क्षमता विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से, कियान्वित किया जाएगा साथ ही व्यक्ति उन्नमुख विकास, एवं सामाजिक, एवं प्रबंधकीय क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

11-3-2 फसलीय क्षेत्र में कृषकों के लिए चलाए जा रहे क्षमता विकास के कार्यक्रमों की भांति पशुपालकों में भी क्षमता विकास के कार्यक्रम लिए जाएंगे।

11-5-3 विभाग द्वारा प्रशिक्षित लगभग 20,000 गो सेवकों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा।

11-3-4 एम.पी.सी.डी.एफ.से संबद्ध दुग्ध संघो द्वारा भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर एवं जबलपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में दुग्ध सहकारिता पर आधारित प्रशिक्षण के अलावा पशु स्वास्थ रक्षक प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण एवं कृषको एवं महिलाओं के लिए पशुपालन तथा प्रबंधन प्रशिक्षण संचालन किया जाएगा।

11-3-5 पशुपालकों को प्रशिक्षत करने हेतु अनुकूलनीय तकनीकों एवं पशु प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण हेतु प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।इस हेतु प्रमुख रूप से बेरोजगार युवक/युवती, उद्यमी, स्वसहायता समूह, एवं पशुपालन के क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा एवं प्रशिक्षण के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। विभिन्न पशु चिकित्सा शिविरों के माध्यम से पशु पालकों को बीमारियों के रोकथाम के संबंध तथा पशु जन्य रोगों से बचाव एवं सावधानियां संबंधित जानकारी दी जाएगी।

11.3.6 बुल मदर फार्म भदभदा भोपाल में गौ सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान संबंधित प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है जिसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। इस संस्था में पशु पालकों की पशु पालन में दक्षता के विकास हेतु 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है पशुपालकों को दूसरे राज्यों में पशुपालन संबंधित गतिविधियों के प्रदर्शन हेतु सात दिन का भ्रमण कराया जाता है। बुल मदर फार्म में विभिन्न योजना अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। । बुल मदर फार्म में प्रतिवर्ष 1000 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

11-4 foLrkj dk;Zdze

विभागीय अधिकारियों, दुग्ध संघ के अमले, गौसेवकों एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम सें विभिन्न विस्तार कार्यक्रम लिये जाएंगे। जिसमें पशुपालकों को पशुपालन संबंधित प्रशिक्षण, टीकाकरण, बधियाकरण एवं उन्नत किस्म के चारों का उपयोग, चारा संरक्षण की विभिन्न विधियॉ, गैर पारंपरिक पोषण आहार का उपयोग आदि संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदिवासी विकास विभाग महिला बाल विकास विभाग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पशुपालन से संबंधित विषयों का समावेश किया जाएगा ताकि दूसरे विभागों के प्रशिक्षण के साथ–साथ विभागीय जानकारी भी उपलब्ध करायी जा सकेगी। विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री एवं साधनों का उपयोग यथा फिल्म शो, नुक्कड नाटक, वॉल पेन्टिग, पोस्टर आदि का उपयोग विस्तार कार्यो में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न पशु मेला, प्रर्दशनी आदि का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान कॉल सेन्टर द्वारा पशुपालन विभाग की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

11-4-1 xkiky i:Ldkj ;kstuk

भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये गोपाल पुरस्कार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत अधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली भारतीय नस्ल की गायों के पशुपालकों को पुरस्कार दिया जाएगा। जिससे पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा एवं भारतीय उन्नत नस्ल की गाय से उत्पन्न नर वत्स खेती के लिये उपलब्ध होंगे साथ ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी एवं भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंशीय उत्पादक पशुओं की

सँख्या में वृद्धि होगी। साथ ही प्रदेश के समस्त उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले देशी गौवंश का रिकार्ड विभाग के पास उपलब्ध होगा, इस जानकारी का उपयोग उन्नत प्रजनन कार्यक्रम में किया जाएगा। यह योजना प्रतिवर्ष प्रदेश के समस्त जिलों पर आयोजित की जाएगी तथा यह योजना सभी वर्ग के उन पशुपालकों के लिए है, जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय उपलब्ध हो, तथा गाय का दुग्ध उत्पादन 4 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक हो। प्रत्येक जिले में सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाली भारतीय गौवंश की गाय को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कार दिया जाएगा। जिले स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरूस्कार प्राप्त पशुपालकों के आवेदन राज्य स्तर पर संकलित किए जाएगे एवं इनका परीक्षण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा एवं परीक्षण उपरांत राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरूस्कारों की घोषणा की जाएगी। प्रतिवर्ष इस योजना पर रू.75.50 लाख का व्यय आयेगा तथा पूरे प्रदेश में 153 पशुपालक लाभान्वित होगें।

11.4.2 विभाग द्वारा प्रदान की जा रही समस्त पशु स्वास्थ्य सेवाएँ , हितग्राही मूलक योजनाऍ तथा नवीन लाभकारी पशुपालन की तकनीको का पशुपालको तक पहुॅचाने की समुचित व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस हेतु जहॉ विभाग के मानव संसाधन को इस तरह प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे विस्तार व सूचनाओं का प्रसार बेहतर रूप से कर सके । विभाग द्वारा प्रशिक्षित 20,000 गौसेवको को भी विस्तार कार्यक्रम से जोड़े जाने की कार्ययोजना व प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएगें।

11-5 n/kk: Ik'k/ku chek ;kstuk

योजना का उद्देश्य पशु पालकों के दुधारू पशुओं के आकस्मिक मृत्यु, आपदा विपदा से होने वाली क्षति से पशुपालकों को राहत,दुधारू पशुओं को पालने की प्रेरणा,दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना है। यह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए है। योजनांतर्गतएक कृषक/पशुपालक को अधिकतम दो दुधारू पशुओं के बीमा का लाभ प्राप्त होगा। ये योजना प्रदेश के बीस जिलों में लागू है इसका विस्तार प्रदेश के सभी जिलो में किया जाएगा।

12-0 vuqla/kku ,oa fodkl

12.1 प्रदेश में वर्तमान में अधिकांश पशुपालकों द्वारा पारंपरिक तरीके से पशुपालन किया जा रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान अभी अनुसंधान संस्थाओं तक ही सीमित है। उनके परिणामों का लाभ पशुपालकों को नहीं मिल पा रहा है। पशुपालन विभाग विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं एवं पशुपालकों के बीच एक कड़ी का कार्य कर सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्य योजना इस प्रकार है।

12.2 प्रदेश में पशुओं की सँख्या में अवर्णित नस्ल के गाय भैंसों की सँख्या अधिकतम है तथा इन्हीं पशुओं का कुल उत्पादन में अधिकतम योगदान है जबकि इन पशुओं का प्रति पशु उत्पादन अत्याधिक कम है। यदि अवर्णित गाय भैंसों के अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन में थोडी भी वृद्धि होती है तो इसका असर प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन पर पडेगा। वर्तमान में अधिकांश अनुसंधान उच्च नस्ल अथवा देशी वर्णित नस्ल के पशुओं पर हो रहे है। विभाग

द्वारा अवर्णित नस्ल के पशुओं के उत्पादन बढाने एवं उनके पोषण संबंधित आधारभूत अनुसंधान पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में एवं विश्वविद्यालय के माध्यम से कराए जाएगें।

12-3 मैदानी समस्याओं के आधार पर अनुसंधान के मुद्दे चिन्हित किए जाएंगे एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित कर इन मुद्दो पर अनुसंधान कराया जाएगा तथा इनका उपयोग मैदानी स्तर पर किया जाएगा। इस हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में आर.के.वी.वॉय योजनान्तर्गत अनुसंधान परियोजना के माध्यम से अनुसंधान किया जाएगा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की अद्योसंरचना, प्रयोगशालाओं, प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ताकि वहॉ पर अनुसंधान की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकें।

12-4 विभिन्न पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयों में हो रहे अनुसंधान के परिणामों के अनुरूप विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाएंगे ताकि पशुपालकों को विभिन्न क्षेत्रों मे हो रहे अनुसंधानो का लाभ मिल सके।

12-5 विभागीय प्रक्षेत्रों एवं रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं, जैविक उत्पाद संस्थान महूँ में अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।

12-6 राष्ट्रीय स्तर के समस्त अनुसंधान संस्थानों से समन्वय स्थापित किया जाएगा एवं विभागीय अमले को समय समय पर इन संस्थानों में हो रहे अनुसंधानों की जानकारी हेतु संबंधित संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। ताकि विभिन्न स्थानों पर हो रहे अनुसंधानों के आधार पर विभाग की आगामी रणनीति तैयार की जा सके।

12-7 पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु और निवेश को बढाया जाएगा, ताकि नीतिगत मसलों पर प्रभावी निर्णय हो सकें।

13-0 fu;eu ,oa ekudhdj.k

विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन बढती हुई जनसँख्या के अनुपात में यह वृद्धि कम है फलस्वरूप दूध एवं दुग्ध उत्पादों की लगातार कमी परिलक्षित हो रही है एवं इस कमी के कारण कुछ दुग्ध उत्पादकों एवं व्यवसायियों के द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट के प्रकरण सामने आ रहे है साथ ही छोटे दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण उन्हें वांछित लाभ नहीं हो पा रहा है अतः विभिन्न पशुधन उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन से संबंधित नियमन एवं मानकीकरण आवश्यक है। इस हेतु विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना इस प्रकार है।

13-1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य व्यापारियों के लिये सुरक्षित एवं मानक स्तर के खाद्य पदार्थो को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने बाबत् उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असुरक्षित, दूषित, अपमिश्रित, निम्न गुणवत्ता के हानिकारक खाद्य पदार्थो के निर्माण विक्रय पाये जाने पर दण्ड एवं हर्जाना करने का प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के आधार पर दूध एवं दुग्ध उत्पादन के नियम एवं

मानकीकरण हेतु कार्यवाही की जाएगी एवं दूध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन 1992 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

13-2 मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को लाभांवित किए जाने हेतु एक गतिमान मूल्य प्रणाली विकसित की जा रही है। जिसमें समस्त दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदाय किया जाएगा।

13-3. पशुपालकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त दूध के उत्पादन एवं स्वच्छ दूध उत्पादन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।

13-4 नगरीय निकाय विभाग के सहयोग से पशु वध गृहों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। एवं वहॉ पदस्थ अमले को स्वच्छ मांस उत्पादन की तकनीक संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पशुओं के वध के उपरांत अनुपयोगी अवशेषों का प्रभावी तथा दक्षतापूर्वक उपयोग हेतु उन निजी संस्थाओं/व्यापारियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा जो इन अवशेषों का उपयोग व्यवसायिक उददेश्य से करते हैं।

13-5 पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु दूध एवं दुग्ध पदार्थ आदेश 1992 की तरह अन्य आदेश अथवा अधिनियम लाने की आवश्यकता पर विचार कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

13-6 पशुधन उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदाय किया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद्, करनाल, हरियाणा एवं नेशनल डेयरी डेव्हलपमेंन्ट बोर्ड, आनंद, गुजरात से तकनीकी मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त किया जाएगा तथा मांस उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु मीट टेक्नोलॉजी संस्थानों से परामर्श प्राप्त किया जाऐगा।

13-7 खाद्यान्न एवं पोषक तत्वों के विश्लेषण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत भोपाल स्थित खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है एवं विभिन्न पशु आहार एवं फीड सप्लीमेंट की मिलावट एवं गुणवत्ता की जांच हेतु विभिन्न राज्यों में अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में भी आवश्यकतानुसार अधिनियम बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

13-8 समस्त अधिनियमों में संशोधन कर वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप बनाए जाएंगे। उन्मुखीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से उक्त अधिनियमों से विभागीय अमले एवं अन्य सहयोगी विभाग के अमले के उन्मुखीकरण के साथ–साथ सुग्राही बनाया जाएगा।

13-9 पशुपालन विभाग द्वारा अन्य विभागों से सामंजस्य कर पशुओं के परिवहन से संबंधित अधिनियमों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

13-10 कुक्कुट पालन उद्योग को लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत किया जाएगा एवं विभिन्न स्तर पर अनुदान की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा।

14.0 समीक्षा एवं मूल्यांकन

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव जानने के लिए समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा एवं उनका मूल्यांकन आवश्यक है एवं समीक्षा के परिणामों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है एवं उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से समीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्ययोजना इस प्रकार है।

14.1 विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों की सतत् समीक्षा हेतु प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना।

सूचना तंत्र के अभाव में प्रभावी नीतिगत निर्णय नही लिए जाने की संभावना बनी रहती है अतः ऐसी सूचना प्रणाली विकसित करनी होगी जो पशुपालन के क्षेत्र में न केवल नीतिगत स्तर पर उपयोगी हो बल्कि साधन विहीन पशुपालकों के हित में भी हो। अतः वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के लिये निम्नांकित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में इन सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार संशोधन कर समीक्षा एवं मूल्यांकन को सुदृढ किया जाएगा।

14.1.1 राष्ट्रीय गौ–भैंस वंशीय सॉफ्टवेयर :– कृत्रिम गर्भाधान कार्य की सतत् ऑनलाईन मोनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय गौ–भैंस वंशीय परियोजना के तहत् मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संस्था स्तर तक के कृत्रिम गर्भाधान कार्य की ऑनलाईन एन्ट्री की जाती है तथा उच्च स्तरों पर उपरोक्त कार्य की समीक्षा की जाती है।

14.1.2 सी.एम. मॉनिटरिंग कार्यक्रम :– विभाग के तकनीकी कार्य जैंसे पशु उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं योजना कार्य जैंसे दुधारू पशु उत्प्रेरण, उच्च नस्ल के सांड उत्प्रेरण आदि कार्यों की जिला स्तर पर ऑनलाईन एन्ट्री की जाती है तथा संचालनालय एवं शासन स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है।

14.1.3 भारत सरकार द्वारा संक्रामक बीमारियों की रिपोटिंग हेतु National Animal Disease Reporting System software तैयार किया गया है एवं इस कार्यक्रम के तहत विकासखण्ड स्तर तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये है तथा विकासखण्ड स्तर के अमले को इस सॉफ्टवेयर को चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । किसी भी क्षेत्र में संक्रामक बीमारी के उद्भेद की स्थिति में इसकी सूचना ऑनलाईन एन्ट्री के माध्यम से की जावेगी। जिसका सीधा प्रतिवेदन भारत शासन को उपलब्ध हो सकेगा। जिससे विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय समय से किए जाएंगे।

14.2 मॉनिटरिंग एवं रैंकिंग प्रणाली

प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभाग की अनेकों हितग्राही मूलक योजनाएं या जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं क्रियान्वित हैं। यह देखने में आया है कि कुछ जिले जहॉ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वहीं कुछ अन्य जिलों में उतना अच्छा कार्य नहीं हो रहा है तथा यह स्थिति भी है कि एक जिले में एक योजना में तो अच्छा कार्य

हो रहा है तथा उसी जिले में अन्य योजना में लक्ष्य प्राप्ति आशानुरूप नहीं है। विभाग में विभिन्न योजनाओं में भिन्न भिन्न जिलों की उपलब्धि के आधार पर मानिटरिंग/रैंकिंग की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी तथा जिलों को राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्थिति ज्ञात हो सकेगी जिससे उस जिले का संबंधित अमला सुधारात्मक कदम उठा सकेगें।

14.2.1 जिलों की रैंकिंग विभिन्न योजनाओं में उनके द्वारा किए गए लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर की जाएगी साथ ही विभिन्न योजनाओं को अलग अलग वेटेज दिया जाएगा है। जिन योजनाओं में जिलों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है उन योजनाओं को अधिक वेटेज दिया जाएगा।

14.2.2 मानिटरिंग एवं रैंकिंग की समस्त प्रक्रिया एक्सल शीट में एक छोटे से कम्प्यूटर प्रोग्राम के द्वारा की जाएगी जिसके लिए किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता नहीं है ।

14.2.3 अंतिम प्राप्त अंकों के आधार पर जिले की रैंकिंग स्थापित की जाएगी तथा उक्तानुसार स्थिति प्रत्येक माह वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रत्येक योजना के संदर्भ में तथा अंतिम रैंकिंग का abstract हार्ड कापी में भी समस्त कलेक्टर्स एवं उप संचालकों को प्रेषित किया जाएगा। इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय, समस्त संभागीय आयुक्तों एवं समस्त संयुक्त संचालकों को प्रेषित की जाएगी तथा समस्त संबंधित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने में उक्तानुसार प्राप्त अंक मुख्य आधार होंगे।

14.3 केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण योजना

केन्द्र प्रवर्तित एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण योजना प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य के 50:50 अंश से संचालित है। इस योजना में प्रदेश स्तर (दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस) का अनुमानित उत्पादन का अनुमान ऋतुवार एवं वार्षिक लगाया जाता हैं। संचालनालय से ऋतुवार रेण्डम प्रणाली से प्रारंभिक सर्वेक्षण हेतु एक ऋतु में 2556 (प्रदेश के समस्त ग्रामों का 5%) ग्रामों का चयन किया जाता विश्लेषणात्मक आंकडे उपलब्ध होने के पश्चात् विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक कार्यक्रम की त्रैमासिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

14.4 विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा एवं आंकलन हेतु जन सहभागिता के माध्यम से एक सामुदायिक सूचना प्रणाली का विकास :–

विभाग द्वारा विभिन्न तकनीकी कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा हेतु वृहद वैब इनेबल्ड सॉफ्टवेयर निर्मित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर हेतु विभिन्न प्रपत्र तैयार किए जा चुके है एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

14.5 विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों के प्रभाव एवं मूल्यांकन का कार्य बाह्य संस्थाओं के माध्यम से कराना।

विभिन्न विकास कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेपों के प्रभाव एवं मूल्यांकन का कार्य बाह्य संस्थाओं जैंसे नाबार्ड अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा।

14-6 सूचना तंत्र के अभाव में संभावना यह भी बनी रहती हैं कि समय पर संक्रामक रोगों के आउटब्रेक नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। बहुत से संक्रामक रोग ऐसे हैं जो मनुष्यों में भी संक्रमित होते हैं व पर्याप्त निदानात्मक एवं अनुसंधान/अध्ययन की सुविधाओं के अभाव में इन्हे नियंत्रित किया जाना संभव नही हो पाता है। ऐसे में सूचना तकनीकी के माध्यम से घर–घर पशु चिकित्सा संबंधित जानकारी प्रदाय किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा NADRS साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों की सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा।

14.7 विभाग द्वारा प्रदान की जा रही समस्त पशु स्वास्थ्य सेवाएँ, हितग्राही मूलक योजनाएं तथा नवीन लाभकारी पशुपालन की तकनीको का पशुपालको तक पहुॅचाने की समुचित व्यवस्था विकसित की जाएगी। पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर पशुपालकों के लिए विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंधन आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी वर्तमान में विभागीय वेबसाइट पर पशुपालकों हेतु टीकाकरण सारणी, प्रमुख रोगों के लक्षण, पशुजन्य रोगों से बचाव आदि की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट को अन्य अनुसंधान संस्थाओं/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों की वेबसाइट से जोडा/संबद्ध किया जाएगा ताकि पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं पशुपालन से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो सके।

14.8 विभाग के मानव संसाधनों के इन प्रयासो को अधिक कारगर बनाने के लिये तथा उनके दायरे का विस्तार करने के लिये सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से विभाग के राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय चिकित्सकीय तथा विस्तार अमले में संचार तंत्र विकसित किया जाएगा। इन तंत्र से सभी स्तरों के बीच संवाद स्थापित होगा। जिससे अधिक बेहतर सेवाएँ त्वरित प्रदान की जा सकेंगी तथा अमले का भी पूर्ण रूप से उपयोग विभाग कर सकेगा।

आगामी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय आवश्यकता

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)	रिमार्क
1.	नवीन पशु औषधालयों की स्थापना	1395.4	
2.	पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन	4089.83	
3.	नवीन संस्था भवन निर्माण	1575	
4.	पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढीकरण	600	
5.	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र इकाईयों का पशु औषधालयों में उन्नयन	2892	
6.	अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन	496	
7.	ई वेट प्रोजेक्ट	144.75	
8.	जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों का पॉली क्लीनिक में परिर्वतन	1536	
9.	पशु आश्रय स्थल की स्थापना	15.00	
10.	नवीन रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं की स्थापना	1009.40	
11.	चलित पशु रोग निदान इकाई की स्थापना	918	
12.	नवीन **BSL-II प्रयोग शाला के स्थापना**	180.00	
13.	पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महूँ का सुदृढीकरण	5000.00	
14.	एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना	12000	
15	निजी कृत्रिम गृर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	798.12	
16.	समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम अन्तर्गत मुर्रा सांडों का प्रदाय	1439	
17.	नंदीशाला योजना अन्तर्गत गौ सांडों का प्रदाय	1400	
18.	विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम (मादा वत्स पालन)	965	
19.	पशु उत्प्रेरण कार्यक्रम	2748	

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वित्तीय आवश्यकता (रू.लाख में)	रिमार्क
20.	दुग्ध समितियों का गठन एवं डेयरी संयंत्रों का क्षमता विस्तार	13771	
21.	कडकनाथ इकाईयों का वितरण	105.90	
22.	केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण बैकयार्ड योजना	3138	
23.	लेयर एस्टेट की स्थापना	350	
24.	अनुदान के आधार पर बकरा का प्रदाय	1167.4	
25.	बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	552.46	
26.	अनुदान के आधार पर नर वराह (सूकर) का प्रदाय	87.02	
27.	अनुदान पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) इकाई का प्रदाय	85.26	
28.	चारा एवं चारागाह विकास योजना	65.00	
29.	चारा बीज उत्पादन एवं वितरण योजना	200.00	
30.	आर.के.वी.वॉय.योजनान्तर्गत चारागाह विकास	200.00	
31.	एक्सीलेरेटेड फाडर डव्लपमेंट प्रोग्राम	3200	
32.	प्रक्षेत्रों में बहुवर्षीय चारा उत्पादन एवं कृषकों को रूट स्लीप वितरण	110	
33.	मिनीकिटस वितरण योजना	—	
34.	फॉडर ब्लॉक बनाने की इकाई की स्थापना	350.00	
योग			